बच्चों एवं महिलाओं के संरक्षण से संबंधित

कानूनी जागृति पुस्तिका

भारत के संविधान में निर्दिष्ट मौलिक कर्त्तव्य

जिस प्रकार हमारे कुछ अधिकार हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे कर्त्तव्य भी हैं। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, संविधान के बयालिसवें संशोधन के द्वारा, मौलिक कर्त्तव्यों को स्थापित किया गया। संविधान के भाग IV क में अनुच्छेद 51क सम्मिलित किया गया। वर्ष 2002 के छियासिवें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्त्तव्यों की संख्या 10 से बढ़ा कर 11 कर दी गई।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में निर्दिष्ट मौलिक कर्त्तव्य, निम्नलिखित हैं:–

1. संवधिान की अनुपालना एवं उसके आदर्शों, उसके अन्तर्गत संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान।
2. भारत के स्वाधीनता संग्राम के प्रेरक, महान आदर्शों को नितान्त स्मरण रखना और उनका अनुगमन करना।
3. भारत देश की सम्प्रभुता, एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण एवं सुरक्षित रखना।
4. आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सुरक्षा एवं सेवा करना।
5. सभी धार्मिक, भाषीय, क्षेत्रीय एवं वर्गीय विभिन्नताओं का अतिक्रमण करते हुए, सभी भारतीयों में सामंजस्य एवं भ्रातृत्त्व की भावना का विकास; नारी की गरिमा के विरूद्ध कुप्रथाओं का त्याग।
6. अपनी उदात्त संस्कृति व गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझना और उसे संरक्षित रखना।
7. वन, सरोवर, नदी एवं वन्य जीव इत्यादि प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुधार तथा प्राणी–मात्र के प्रति करूणा।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास।
9. सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा एवं हिंसा का परित्याग।
10. व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न ताकि राष्ट्र निरन्तर प्रयत्न और उपलब्धि के उच्चतर शिखरों पर पहुँचे।
11. माता–पिता या संरक्षक के लिए छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु के बालक को शिक्षा के अवसर प्रदान करना।

अनुक्रमणिका

क्र.स.	बच्चों एवं महिलाओं से संबंधित अधिनियम	पृष्ठ सं.
1.	बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006	1-4
2.	बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986	5-9
3.	बाल श्रम (गिरवीकरण) अधिनियम, 1933	10
4.	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012	11-16
5.	किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख व संरक्षण) अधिनियम, 2000	17-28
6.	रैगिंग निषेध अधिनियम, 2009	29-32
7.	घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005	33-40
8.	निरूशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009	41-42
9.	दंड विधि (संशोधन) अधिनयम, 2013	43-46
10.	गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971	47-50
11.	लिंग जाँच रोकने का कानून	51-53
12.	महिलाओं के साथ छेड़छाड़ से सम्बन्धित अपराध	54-57
13.	झारखण्ड पीड़ित प्रतिकर (मुआवजा) योजना, 2012	58-61

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006

जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है।

इस कानून के अनुसार किसी भी 21 वर्ष से कम आयु के बालक तथा 18 वर्ष से कम आयु की बालिका का विवाह निषिद्ध/वर्जित है। किन्तु यदि ऐसा विवाह संपन्न भी हुआ हो तो वह शून्यकरणीय होगा। अवयस्क बालक या बालिका अपने अभिवाहक या व्यस्क मित्र की मदद से विवाह को रद्द करने या शून्य घोषित करने हेतु परिवार न्यायालय या सक्षम न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकेगा/सकेगी। (धारा 3)

अवयस्क का विवाह शून्यकरणीय है।

वयस्कता प्राप्ति के दो वर्षों के भीतर भी ऐसा वयस्क पति या पत्नी अपने विवाह को शून्य घोषित करने हेतु मुकदमा दायर कर सकता है।

न्यायालय विवाह को शून्य घोषित करते समय दोनों पक्षकार को विवाह के समय दिये गये धन, आभूषण उपहार तथा अन्य मूल्यवान वस्तुएँ एक दूसरे को वापस करने का आदेश देगा।

न्यायालय उपरोक्त डिक्री पारित करते समय वयस्क पति को या अवयस्क पति की दशा में उसके माता–पिता को, बालिका को उसे पुनर्विवाह होने तक समुचित भरण पोषण तथा निवास हेतु आदेश दे सकेगा। धारा (4)

संतान की वैधता एवं अभिरक्षा (धारा 5)

अवयस्क बालक एवं बालिका के विवाह के शून्य घोषित होने के बावजूद भी उनसे उत्पन्न शिशु उनकी वैध संतान मानी जायेगी।

सक्षम न्यायालय ऐसे बच्चे के हित को ध्यान में रखते हुए उसके अभिरक्षा हेतु उचित आदेश पारित कर सकेगी।

उपरोक्त मुकदमें उस जिला के कुटुम्ब न्यायालय में दायर हो सकेगा, जहाँ –

- ❖ विपक्षी रहता हो, या
- ❖ विवाह संपन्न हुआ हो, या
- ❖ दोनों पक्ष अंतिम बार निवास किये हो या
- ❖ मुकदमा दायर करते वक्त वादी रह रहा हो।

दण्ड

1. अगर 18 वर्ष से उपर का व्यस्क लड़का 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की से विवाह करता है तो उसे दो वर्ष तक का सश्रम कारावास तथा एक लाख रूपये तक का जुर्माना से दण्डित किया जा सकता है। (धारा 9)
2. बाल विवाह कराने, उसे उकसाने या अन्यथा मदद करने या उसमें शामिल होने, या इसे प्रोत्साहित करने हेतु संगठन का कोई भी व्यक्ति 2 वर्ष तक के सश्रम कारावास या एक लाख रूपये तक के जुर्माने से या दोनो से दंडित किया जाएगा। उपरोक्त अपराध संज्ञेय तथा गैर जमानतीय है। (धारा 10 एवं धारा 15)

जहाँ लड़का और लड़की दोनों बालक हैं (लड़का 21 वर्ष से कम तथा लड़की 18 वर्ष से कम) और उनका विवाह होता है तो उस बालक–बालिका के माता–पिता/अभिभावक या कोई अन्य व्यक्ति या किसी संगठन के सदस्य जो यह शादी होने देते हैं या होने में मदद देते हैं या लापरवाही से ऐसे विवाह को रोकने में विफल रहते हैं या इसमें लोगों के शामिल होने से रोकने में विफल रहते हैं तो वे दो साल तक के सश्रम कारावास तथा एक लाख रूपये तक के जुर्माना से दण्डनीय होंगे। मगर कोई महिला कारावास के दण्ड से दण्डनीय नहीं होंगी। {धारा 11(1)}

जबरन विवाह शून्य (धारा 12)

यदि किसी अवयस्क का उसके विधिक अभिरक्षा से उठाकर या फुसलाकर या धोखे में लाकर दबाव देकर तस्करी या बेचकर/खरीदकर विवाह कराया जाता है तो ऐसा विवाह शून्य माना जायेगा।

स्थगन आदेश परिणाम एवं दण्ड

बाल विवाह निषेध अधिकारी के द्वारा या किसी एन0 जी0 ओ0 या व्यक्ति द्वारा परिवाद दाखिल करने पर या किसी अन्य विश्वसनीय सूचना पर प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट बाल विवाह को रोकने हेतु किसी भी व्यक्ति या संगठन के विरूद्ध स्थगन आदेश पारित कर सकेंगे। इसकी अवहेलना करने पर किसी व्यक्ति को 2 वर्ष का सश्रम कारावास या एक लाख रूपये या दोनों का दण्ड दिया जा सकेगा। स्थगन आदेश के बावजूद किया गया बाल विवाह प्रारंभ से ही शून्य माना जायेगा।

अक्षय तृतीया जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर सामूहिक बाल विवाह रोकने हेतु जिला उपायुक्त (डीसी) के पास बाल विवाह निषेध पदाधिकारी की सारी शक्तियाँ होगी। तथा इनका प्रयोग वह न्यूनतम बलप्रयोग के साथ बाल विवाह रोकने हेतु करेगा। [(धारा 13 (14) एवं (धारा 13(5)]

बाल विवाह निषेध पदाधिकारी (सी0 एम0 पी0 ओ0) बाल विवाह रोकने के लिए सक्षम पदाधिकारी होगा। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति, ग्राम पंचायत, म्युनिसिपेलिटी, सरकार या एन0 जी0 ओ0 के अधिकारियों की जिम्मेदार होगी कि वे बाल विवाह निषेध पदाधिकारी को बाल विवाह रोकने में मदद करे। इस हेतु सरकार सी0 एम0 पी0 ओ0 को पुलिस अफसर की शक्तियाँ प्रदान कर सकेगी । (धारा 16)

बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी के कर्तव्य। [धारा 16(3)]

- उचित कदम उठाकर बाल विवाह रोकना
- प्रभावशाली अभियोजन हेतु साक्ष्य एकत्र करना।
- व्यक्ति विशेष या स्थानीय लोगो को बाल विवाह के विरूद्ध परामर्श देना एवं जागरूक बनाना।
- निर्देशानुसार सरकार को संबंधित आंकड़ें भेजना।

सक्षम न्यायालय

जिले का कुटुम्ब न्यायालय बाल विवाह के मामले में सक्षम न्यायालय होता है।

बाल विवाह की सूचना किसे दें

1. बाल विवाह निषेध पदाधिकारी–झारखण्ड में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) को उस प्रखंड का बाल विवाह निषेध पदाधिकारी अधिसूचित किया गया है।
2. जिला उपायुक्त
3. प्रथम श्रेणी न्यायिक मैजिस्ट्रेट
4. पुलिस पदाधिकारी

इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय तथा गैर जमानती होगा।

❑❑❑

बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986

बालक का अर्थ

14 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति 'बालक' कहलाया जाएगा।

उपजीविकाएँ (व्यवसाय) जिनमें बाल मजदूरी की मनाही है जैसे धारा 3 अनुसची - भाग A

1. रेलों द्वारा यात्रियों, माल और डाक को ढ़ोना।
2. कोयला बीनना, राख के गड्ढ़ों को साफ करना तथा रेलवे परिसरों में निर्माण कार्य करना।
3. रेलवे स्टेशन पर स्थित होटल/दुकानों में काम करना जिसमें एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर आना–जाना और चलती रेल से चढ़ना–उतरना पड़ता हो। इसमें रेलवे स्टेशन या चलती हुई रेल में वस्तु बेचना भी शामिल है।
4. रेलवे स्टेशन का निर्माण या उससे सम्बन्धित काम जो रेल की पटरी के पास या बीच में किया जाता हो।
5. बन्दरगाह पर काम करना।
6. अस्थाई लाइसेन्स वाली दुकानों पर पटाखों और आतिशबाजी का सामान बेचना।
7. बूचड़ खाने में।
8. मोटर गाड़ियों की कार्यशाला (वर्कशाप) और गैराज में।
9. ढ़लाई के कारखानों में।
10. जहरीले, आग पकड़ने या विस्फोटकों को उठाने और रखने में।
11. हथकरघा तथा पावरलूम उद्योग।
12. खान (भूमिगत एवं पानी के अन्दर) तथा कोयले की खान।
13. प्लास्टिक इकाइयाँ तथा फाइबर ग्लास वर्कशाप आदि।
14. घरेलू कामगार या नौकर के रूप में।

15. सड़क किनारे के ढाबा या होटल या रेस्टोरेंट, मोटेल, चाय दुकान इत्यादि में कामगार के रूप में
16. गोताखोरी के रूप में
17. सर्कस में
18. हाथियों के देखभाल करने में

कुछ प्रक्रियाएं, जिनमें बाल मजदूरी की पाबंदी है धारा 3 अनुसूची भाग B

1. बीड़ी बनाना
2. कालीन बुनना
3. सीमेंट बनाना और बोरियों में उसे भरना
4. कपड़े की छपाई, रंगाई और बुनाई
5. माचिस, विस्फोटक पदार्थों तथा पटाखों को बनाना
6. अभ्रक काटना और उसके टुकड़े करना
7. साबुन बनाना
8. ऊन साफ करना
9. चमड़ा बनाना
10. भवन और निर्माण उद्योग जिसमें ग्रेनाइट को संसाधित और पालिश करना शामिल है
11. स्लेट पेंसिल बनाना
12. काजू और काजू के छिलके उतारने का काम
13. अगरबत्ती बनाना
14. डिटरजेंट बनाना
15. रत्न तराशना और पालिश करना
16. जूट के कपड़े बनाना
17. चूना भट्टी और चूना बनाना
18. ताला बनाना

19. काँच बनाना जिसमें चूड़ियाँ, बल्ब व ट्यूब बनाना भी शामिल है
20. कागज बनाना
21. जरी से जुड़े सभी काम

बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति (धारा 5)

केन्द्र सरकार एक सलाहकार समिति का गठन करेगी जो सरकार को उपजीविकाएँ (व्यवसाय) और प्रक्रियाएं जिनमें बाल मजदूरी की पाबंदी है, बढ़ाने और घटाने की सलाह देगी। इस समिति में एक अध्यक्ष होगा और अधिकतम दस सदस्य होंगे। यह समिति उप समिति का भी गठन करेगी।

कार्य करने का समय (धारा 7)

अगर कोई किसी भी बच्चे से प्रतिबंधत व्यवसाय और प्रक्रियाओं के अलावा कोई अन्य काम करायेगा तो निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना आवश्यक है :–

1. तीन घंटे का काम करने पर एक घंटे की छुट्टी विश्राम के लिए दी जाएगी।
2. छुट्टी का समय मिलाकर किसी भी बच्चे से एक दिन में 6 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जा सकता है।
3. किसी भी बच्चे से शाम के 7 बजे से सुबह 8 बजे तक काम नहीं कराया जाएगा।
4. बच्चे से निर्धारित समय से ज्यादा काम (ओवरटाइम) नहीं कराया जा सकता।
5. किसी बच्चे से एक ही दिन में दो जगहों पर काम नहीं कराया जाएगा।

साप्ताहिक छुट्टी (धारा 8)

काम करने वाले बच्चे को सप्ताह में एक दिन की छुट्टी देना जरूरी है।

निरीक्षक को सूचना (धारा 9)

अगर मालिक किसी बाल मजदूर को काम पर लगाता है तो उसे यह

जानकारी निरीक्षक अधिकारी को तीस दिन के अन्दर एक लिखित सूचना के रूप में देनी होगी। इस सूचना में काम के स्थान का नाम, पता, मालिक का नाम तथा ऐसे स्थानों में होने वाले कामों का विवरण देना होगा।

रजिस्टर रखना (धारा 11)

मालिक का यह कर्तव्य है कि वह ऐसा रजिस्टर रखे जो निरीक्षक को निरीक्षण के लिए काम करने के समय उपलब्ध कराए। इस रजिस्टर में बच्चे का नाम, जन्म तिथि, काम का समय, प्रकृति इत्यादि का विवरण दिया जाएगा।

सूचना को प्रदर्शित करना

रेल प्रशासन, बन्दरगाह अधिकारी तथा मालिक स्थानीय एवं अंग्रेजी भाषा में उपजीविकाएं एवं प्रक्रियाएं, जिनमें बाल मजदूरी की पाबंदी है, और इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्ड की सूचना को रेलवे स्टेशन, बन्दरगाह की सीमाओं के भीतर एवं काम के स्थान में ऐसी साफ दिखाई देने वाली और सुगम जगह पर प्रकाशित करेंगे। (धारा 15)

दण्ड

कोई भी व्यक्ति जो बच्चों को ऐसी उपजीविकाएं (व्यवसाय) और प्रक्रियाएं जिनमें बाल मजदूरी की पाबंदी है, उसमें काम कराता है, तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम तीन महीने और अधिक से अधिक एक वर्ष की जेल या कम से कम दस हजार रूपये या अधिक से अधिक बीस हजार रूपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। धारा 14 (1)

कोई भी व्यक्ति जो दोबारा ऐसे अपराध का दोषी पाया जाता है, उसे कम से कम 6 महीने और अधिक से अधिक दो वर्ष की जेल हो सकती है। धारा 14 (2)

निम्नलिखित परिस्थितियों में एक महीने की साधारण जेल और 10,000 रूपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। धारा 14 (3)

1. अगर मालिक निरीक्षक को अपने यहाँ नियुक्त बच्चों की सूचना नहीं देता है।

2. अगर मालिक रजिस्टर नहीं रखता है या उसमें झूठी बात लिखता है।

3. मालिक उपजीविकाएं एवं प्रक्रियाएं, जिनमें बाल मजदूरी की पाबंदी है, और इस अधिनियम के अंतर्गत दण्ड की सूचना को प्रकाशित नहीं करता है।

4. कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए उपबंध एवं नियमों का पालन नहीं करता है।

अपराधों की शिकायत से सम्बन्धित प्रक्रिया धारा 16

कोई भी व्यक्ति, पुलिस अधिकारी या निरीक्षक इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की शिकायत सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष कर सकता है। धारा 16(1)

ऐसे मुकदमों की सुनवाई मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से नीचे के न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। {धारा 16(3}

बाल श्रमिक की आयु पर विवाद (धारा 10)

अगर किसी भी तरह का विवाद बाल–श्रमिक की आयु को लेकर होता है, तो ऐसे में चिकित्सीय अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र मान्य होगा।

उच्चतम न्यायालय के बाल श्रम के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय

1. अनिल कुमार बनाम सहायक श्रम अधिकारी, मथुरा में उच्चतम न्यायालय ने मालिकों को बाल श्रमिकों को मुआवजा देने का आदेश दिया।

2. एम0 सी0 मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी खतरनाक काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तथा न्यायालय ने बाल श्रमिक पुनर्वास एवं भलाई कोष स्थापित करने का निर्देश दिया, जिसमें मालिक प्रति बच्चे के हिसाब से 20,000 रूपये जमा करेगा।

❑❑❑

बालक श्रम (गिरवीकरण) अधिनियम, 1933

इस अधिनियम के तहत बाल श्रम को गिरवी रखने का मतलब ऐसे करार से है, जिसके तहत बच्चे के माता पिता या संरक्षक किसी भुगतान या लाभ जो मिलने वाला हो या मिल चुका हो उसके बदले में बच्चे की सेवाओं का किसी रोजगार में उपभोग करने का करार करते हैं या अनुमति देते हैं।

इनमें वह करार शामिल नहीं है जो –

- ❖ बच्चे के हित में हो और
- ❖ बच्चे की सेवाओं की उचित मजदूरी के अलावा किसी अन्य लाभ के लिए हो और
- ❖ जो एक हफ्ते या कम की सूचना से रद्द किए जा सकते हों।

किसी बच्चे का श्रम गिरवी रखने का करार शून्य होगा अर्थात् उसका कोई प्रभाव नहीं होगा।

दण्ड

इस कानून के विरूद्ध करार करने वाले माता पिता या संरक्षक पर 50 रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

अगर कोई व्यक्ति इस कानून के विरूद्ध माता पिता या संरक्षक से बाल श्रम गिरवी रखने का करार करता है, तो उसे 200 रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।

कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि किसी बच्चे के श्रम को गिरवी रखने का करार किया गया है, उसे किसी काम में लगाता है या लगाए जाने की अनुमति देता है, तो उसे 200 रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।

Note :- बाल मजदूर संबंधित सूचना/जानकारी देने के लिए श्रम विभाग के हेल्पलाइन नं. 18003456526 पर कॉल कर सकते हैं।

❑❑❑

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

क्या है पोक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस) कानून ?

बालकों (18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति चाहे वह लड़का हो या लड़की) का लैंगिक अपराधों से संरक्षण के लिए अधिनियम है। यह एक व्यापक कानून है जो बालकों को लैंगिक उत्पीड़न, लैंगिक हमला, अश्लील साहित्य इत्यादि यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। कानूनी कार्यवाही के दौरान हर स्तर पर बालक के हित व भलाई को सुनिश्चित करने का प्रावधान है। उसमें बालकों के अनुकूल न्यायिक प्रक्रिया, रिपोर्टिंग (सूचना) सबूतों की रिकॉर्डिंग (अभिलेखन) अपराधों की सुनवाई व जांच एवं त्वरित विचारण के लिए विशेष न्यायालय बनाये जाने का प्रावधान भी है।

इस कानून की खास-खास बातें क्या हैं ?

1. पोक्सो कानून की धारा–3 के तहत पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट (प्रवेशन लैंगिक हमला) को परिभाषित किया गया है। यह अपराध होता है जब कोई व्यक्ति अपना निजी अंग या शरीर का कोई भाग या कोई अन्य वस्तु किसी बालक के निजी अंग या मुँह में प्रवेश करता है या करवाता है। (धारा 3)

2. दोषी पाए जाने पर मुजरिम को उम्रकैद तक की सजा और जुर्माना हो सकता है एवं कारावास की सजा सात वर्ष से कम नहीं हो सकता है। (धारा 4)

3. कोई पुलिस कर्मी, टीचर, हॉस्पिटल स्टाफ या फिर कोई ऐसा व्यक्ति, जिसकी देखरेख में बच्चा हो या जिसपर बच्चा को भरोसा हो,

   (a) अगर वह बच्चे के साथ बिन्दू 1 में लिखा गया अपराध (पेनेट्रेटव सेक्सुअल असॉल्ट) करता है, अथवा

   (b) दो या उससे ज्यादा लोग मिलकर ऐसी हरकत करते हैं, अथवा

(c) हथियार के बल पर ऐसा किया जाता है तो, ऐसे मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद मुजरिम को कठोर कारावास (दस वर्ष से आजीवन कारावास तक) और जुर्माना से भी दंडनीय होगा। (धारा 6)

4. धारा–7 के तहत सेक्सुअल असॉल्ट (लैंगिक हमला) को परिभाषित किया गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे के प्राइवेट पार्ट को छूता है या अपने या अन्य व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट को बच्चे से ऐसा कराता है, तो दोषी को 3 साल से लेकर 5 साल तक कैद हो सकती है। (धारा 8)

5. कोई पुलिसकर्मी, टीचर, हॉस्पिटल स्टाफ या फिर कोई ऐसा व्यक्ति, जिसकी देखरेख में बच्चा हो या जिसपर बच्चा को भरोसा हो, अगर वह बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता है, अथवा दो या उससे ज्यादा लोग मिलकर ऐसी हरकत करते हैं, अथवा हथियार के बल पर ऐसा किया जाता है तो ऐसे मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद मुजरिम को 5 साल से लेकर 10 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। (धारा 10)

6. बच्चों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट (लैंगिक उत्पीड़न) को धारा–11 में परिभाषित किया गया है। अगर कोई व्यक्ति गलत नियत से बच्चों के सामने अश्लील हरकतें करता है, या उसे ऐसा करने को कहता है, पोर्नोग्राफी (अश्लील साहित्य) दिखाता है तो 3 साल तक कैद की सजा और जुर्माना हो सकता है। या अश्लील इरादे से बच्चे का पीछा करता है या इलेक्ट्रानिक या अन्य साधन द्वारा अश्लील प्रयोजनों के लिए बच्चों को प्रलोभन या पारितोषण देता है इत्यादि।

7. व्यक्ति बच्चों का इस्तेमाल पोर्नोग्राफी (अश्लील चित्रण/सादी इत्यादी) के लिए करता है तो यह भी गंभीर अपराध है। ऐसे मामले 5 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। (धारा 12)

8. (a) यौन हिंसा/लैंगिक अपराधों के मामले को यदि होटल/स्टूडियो, अस्पताल कर्मी/टीचर रिपोर्टें नहीं करते हैं तो वो पोक्सो कानून के अंतगर्त दोषी हैं। रिपार्ट नहीं करने वाले को 6 माह का सजा हो सकता है।

(b) छः माह से किसी संस्था या कंपनी के प्रमुख को एक वर्ष के कारावास और जुर्माना से दण्डित किया जायेगा। क्रमशः {धारा 21(1) एवं धारा 21(2)}

9. पोक्सो कानून की सम्बंधित धाराओं के अंतर्गत जितनी जल्दी संभव हो प्राथमिकी (FIR) दर्ज किया जायेगा और रिपोर्ट दर्ज करने वाले व्यक्ति को प्राथमिकी की मुफ्त प्रति दी जाएगी। (नियम 4(2)(क))

10. पोक्सो कानून के तहत यौन/लैंगिक किसी भी अपराध के होने की संभावना हो या अपराध हो गया हो तो उसकी सूचना स्थानीय पुलिस/विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू) के थाना स्थित बाल कल्याण पदाधिकारी को दिया जायेगा।

11. (a) जाँच अधिकारी बिना विलम्ब किये 24 घंटे के भीतर मामले को बाल कल्याण समिति एवं विशेष न्यायालय को रिपोर्ट करेंगे (धारा-19(6))

(b) जाँच अधिकारी बालक/माता-पिता/संरक्षक/सहायक व्यक्ति को सहायक सेवाओं की प्राप्यता एवं सम्बंधित व्यक्ति से संपर्क की सूचना देंगे (नियम-4 (2)ङ)

(c) सहायक व्यक्ति नियुक्त करने के लिए जाँच अधिकारी बाल कल्याण समिति से अनुरोध करेगा और इस सम्बन्ध में 24 घंटे के अन्दर विशेष न्यायालय को सूचित करेगा (नियम-4(7)(9))

12. विशेष किशोर पुलिस ईकाई/जाँच अधिकारी द्वारा बालक और उसके माता–पिता या सहायक व्यक्ति को निम्न सूचना दी जाएगी (नियम–4(12))

(i) सरकारी और निजी आपात और संकटकालीन सेवाओं की उपलब्धता।

(ii) पीड़ित को मुआवजे से सम्बंधित जानकारी।

(iii) न्यायिक कार्यवाहियों की जानकारी जिसपर या तो बालक के उपस्थित होने की अपेक्षा की गई है या वह उपस्थित होने का हक रखता है।

13. (a) यौन/लैंगिक अपराध से जुड़े सभी मामले जिसमें व्यक्ति दोषी है, विशेष न्यायालय में चलाया जायेगा जहाँ बच्चे के हित में बाल-मैत्रि न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

(b) यदि अपराध किसी बालक (18 वर्ष से कम उम्र) द्वारा हुआ है तो उसे को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा और मामला उसके द्वारा ही सुना जायेगा न कि विशेष न्यायालय द्वारा [धारा-34(1)]

(c) द्विभाषियों/अनुवादकों/विशेष शिक्षकों की सहायता राज्य सरकार की बाल संरक्षण ईकाई से ली जाएगी [धारा-26(2) एवं नियम-3(1)]

14. बच्चे की बात को उसके घर पर ही अथवा बच्चे की पसंद के स्थान पर यथासंभव उसके ही भाषा में महिला पुलिस अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड किया जायेगा। पुलिस अधिकारी पद में सब इंस्पेक्टर (SI) से नीचे का नहीं होंगे [धारा–24(1)]

15. बच्चे की बात को रिकॉर्ड करते समय पुलिस पदाधिकारी वर्दी में नहीं होगा [धारा–24(2)]

16. बच्चे का बयान उसी की भाषा में दर्ज किया जायेगा (धारा–19(3))

17(i) अगर बच्चा अलग भाषा बोलता है तो इसमें द्विभाषीय की सहायता ली जाएगी [धारा–19(4)]

17(ii) धारा–26(3) के तहत अगर बच्चा सुनने, बोलने, देखने आदी से विकलांग हो, या मानसिक तो ऐसे में विशेष शिक्षक से मदद

ली जाएगी जो बच्चे की बात समझ सके। इसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा किया जायेगा।

17(iii) रिपोर्ट लिखने के बाद, पुलिस पदाधिकारी बच्चे को उसे पढ़कर सुनायेगी।

18. जहाँ संभव है वहाँ सुनिश्चित करें कि बालक के कथन को श्रव्य–दृश्य माध्यम से सहायक व्यक्ति की उपस्थिति में दर्ज करें [धारा–26(4)]

19. कथन का अभिलेखन माता–पिता/सहायक व्यक्ति की उपस्थिति में किया जायेगा [धारा–26(1)]

20. किसी भी बच्चे को किसी भी परिस्थिति में रात को थाना में नहीं रखा जायेगा [धारा–24(4)]

21. जाँच अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी समय या किसी भी प्रकार से अभियुक्त बालक के संपर्क में नहीं आये [धारा–24(3)]

22. मामला चलने के दौरान पूरी प्रक्रिया, जैसे–सबूत जुटाना, जाँच करना, सुनवाई करना मामले की रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग करना आदि के समय बच्चे के हित को देखते हुए बाल मैत्री तरीके से काम किया जायेगा।

23. पुलिस के द्वारा सबूत को 30 दिन के भीतर रिकॉर्ड किया जायेगा [धारा–35(1)]

24. (a) यौन हिंसा से पीड़ित बच्चे का मेडिकल जाँच माता/पिता/अभिभावक की उपस्थिति में किया जायेगा। अगर वे उपलब्ध नहीं हों तो वैसे व्यक्ति की उपस्थिति में जिसपर बच्चे का विश्वास हो [धारा-27(3)]

(b) अगर पीड़ित व्यक्ति बच्ची है तो मेडिकल जाँच महिला डॉक्टर द्वारा किया ही जायेगा [धारा-27(2)]

(c) अगर पीड़ित बच्चे को ईलाज/मेडिकल सेवा की आवश्यकता

है तो अस्पताल की ये जिम्मेदारी है कि बिना किसी विलम्ब के उसका उपचार किया जाये। इसके लिए कोई भी कानूनी दस्तावेज की जरूरत नहीं।

25. पुलिस अधिकारी बच्चे की पहचान पब्लिक और मीडिया में जाहिर नहीं होने देंगे तथा न्यायालय की आज्ञा के बिना बच्चे के सम्बन्ध में जानकारी मीडिया को नहीं दी जाएगी [धारा–24(5)]

26. विशेष न्यायालय यथासंभव अपराध का संज्ञान लिए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर ट्रायल (विचारण) को पूरा करेगा [धारा–35(2)]

27. इस कानून के अनुपालन की मोनिटरिंग धारा–44 के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किया जायेगा। (धारा 44)

28. मीडिया द्वारा बच्चे की पहचान को जाहिर नहीं किया जाएगा। न ही उसका पता, तस्वीर, नाम, परिवार का विवरण, स्कूल का नाम आदी जाहिर किया जाएगा। इसका उल्लंघन करने पर 6 माह से 1 वर्ष की सजा और जुर्माना हो सकता है। (धारा 23)

❑❑❑

किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख व संरक्षण) अधिनियम 2000

किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख व संरक्षण) अधिनियम 2000, संशोधित 2006 एक ऐसा कानून है जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को बच्चा परिभाषित किया गया है। यह बच्चों के सर्वोतम हित को ध्यान में रखते हुए बाल मैत्री दृष्टिकोण अपना कर समुचित देख–रेख, संरक्षण व उपचार करते हुए त्वरित न्याय एवं सामाजिक पुनर्वास प्रदान करने वाला कानून है। यह अधिनियम दो तरह के बच्चों से संबंधित है :

1. विधि विवादित किशोर/बच्चे
2. देख–रेख एवं संरक्षण की जरूरत वाले बच्चे

वैद्यानिक संस्थाएँ

- किशोर न्याय बोर्ड (धारा – 4) विधि विवादित किशोर/विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए सक्षम प्राधिकरण
- बाल कल्याण समिति (धारा – 29) : देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के लिए सक्षम प्राधिकरण
- विशेष किशोर पुलिस ईकाई (धारा – 63) बाल मित्र पुलिस जो विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चे और देख–रेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे के साथ सम्पर्क में आते हैं और उन्हें किशोर न्याय प्रणाली में मार्गदर्शन देते हैं।

आदर्श किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) नियम, 2007 झारखण्ड सरकार द्वारा 2009 में अंगीकृत के कुछ अंश

किशोर न्याय बोर्ड की संरचना : (नियम 5)

- महानगरीय मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा दो सामाजिक कार्यकर्ता मिलकर किशोर न्याय बोर्ड का गठन करते हैं जिसकी अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। बोर्ड का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है।
- किशोर न्याय बोर्ड को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) द्वारा

प्रदात्त शक्तियां प्राप्त है। (उपनियम 2)

- बाल मनोविज्ञान अथवा बाल कल्याण में विशेष ज्ञान रखने वाले या इस विषय में प्रशिक्षण प्राप्त मजिस्ट्रेट को बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में नामित किया जाएगा (उपनियम 3(i)। ऐसा विशेष ज्ञान रखने वाला या प्रशिक्षण प्राप्त प्रधान मजिस्ट्रेट उपलब्ध न होने कि स्थिति में, राज्य सरकार संबंधित मजिस्ट्रेट को बाल मनोविज्ञान अथवा बाल कल्याण विषय पर आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करेगी। (उपनियम 3(ii)
- दो सामाजिक कार्यकर्ताओं, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी, की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा नियम 91 के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। (उपनियम 4)
- केन्द्रीय सरकार की समेकित बाल संरक्षण योजना के अनुसार, राज्य सरकार बोर्ड के सभी सदस्यों को बाल मनोविज्ञान, बाल कल्याण, बाल अधिकार, किशोर न्याय के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विषय का यथावश्यक प्रशिक्षण एवं जानकारी प्रदान करेगी। (उपनियम 5)

किशोर न्याय बोर्ड की बैठक (नियम 9)

- बोर्ड संप्रेक्षण गृह के परिसर में या संप्रेक्षण गृह के नजदीक किसी स्थान पर या फिर अधिनियम के अधीन चल रहे किसी संस्था में बैठकें आयोजित करेगी। किसी भी परिस्थिति में किसी न्यायालय **परिसर के भीतर बोर्ड की बैठक संचालित नहीं होगी।** (उपनियम–1)
- बैठक के दौरान बालकों के साथ **मित्रतापूर्ण व्यवहार होगा**। बैठक स्थल किसी भी तरह से न्यायालय कक्ष जैसा नहीं दिखना चाहिए। बोर्ड ऊँचे उठे हुए मंच पर नहीं बैठेगी और वहाँ गवाहों का कटघरा नहीं होगा। (उपनियम–2)
- बोर्ड सप्ताह के सभी कार्य दिनों पर बैठकों का आयोजन करेगा। (उपनियम–3) बोर्ड के सभापति और सदस्यों की वर्ष में न्यूनतम तीन चौथाई उपस्थिति अनिवार्य है। (उपनियम–4) बोर्ड का प्रत्येक सदस्य को प्रति बैठक में न्यूनतम पांच घंटे उपस्थित रहेंगे। (उपनियम–5)

किशोर न्याय बोर्ड के कार्य (नियम 10)

- विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों के मामलों में सुनवाई एवं न्याय देना। (उपनियम–क)
- मामलों का समय पर निपटारा करना और जाँच 4 महिनों में पुरा करना।
- किशोर न्याय अधिनियम के धारा 23 से 28 के अन्तगर्त बच्चों पर किये गये अपराध (जैसे बच्चों पर क्रुरता, भीख मंगवाना, नशीला पदार्थ देना एवं उनसे जोखिमपूर्ण व्यवसाय में मजदूरी कराना।) किये गये अपराध पर संज्ञान लेना। (उपनियम ख)
- विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के लिए संस्थाओं–सम्प्रेक्षण गृह, विशेष गृह में देख रेख एवं संरक्षण के न्यूनतम मानक का ध्यान रखना, मॉनिटर करना एवं बोर्ड द्वारा दिये गये सुझाव का अनुपालन सुनिश्चित करना। (उपनियम ग)
- आवश्यक अवसंरचना या सुविधाएं उत्पन्न/प्रदान करने के लिए जिला प्राधिकारी या पुलिस को आवश्यक निर्देश देना ताकि न्याय व उपचार के न्यूनतम मानक कायम रहें। (उपनियम ड)
- बाल कल्याण समिति से समन्वय बनाकर रखना। (उपनियम च)
- विधि की आवश्यक प्रक्रिया के जरिये मामलों की त्वरित जांच और निपटारे को सुविधाजनक करने के लिए अन्य जिलों में बोर्ड से सम्पर्क समन्वय करना। (उपनियम छ)
- विधि के उल्लंघन करने वाले बच्चों से संबंधित त्रैमासिक प्रतिवेदन, जिला राज्य बाल संरक्षण इकाई, राज्य सरकार, मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट या मुख्य मेट्रोपोलिटन मेजिस्ट्रेट को भेजना (उपनियम झ)
- संप्रेक्षण गृह में जाने की अनुमति प्रदान करना। [नियम 73 (1)]

किशोर के संबंध में पारित किये जाने वाले आदेश

1 परामर्श देकर छोड़ देना

2. सामूहिक परामर्श एवं क्रिया–कलापों में भाग लेने का निर्देश देना

3. सामुदायिक सेवा

4. माता–पिता को या स्वयं किशोर को जुर्माने का आदेश

5. अधिकतम 3 वर्षों तक अवरोध किये जाने का आदेश

विशेष किशोर पुलिस ईकाई/बाल कल्याण पदाधिकारी द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के पूर्व और पश्चात की कार्यवाही (नियम 11)

- जैसे ही कोई बच्चा कानून का उल्लंघन के आरोप में पुलिस के सामने आता है, तो उस पुलिस पदाधिकारी को अभिलम्ब
  - (1) थाना में नामंकित बाल कल्याण पदाधिकारी को इसकी सूचना देनी चाहिए
  - (2) उस बच्चे के माता/पिता/अभिभावक को इसकी सूचना देनी चाहिए। साथ ही उन्हें किशोर न्याय बोर्ड का पता, बच्चे के सुनवाई की तिथि एवं समय जब उन्हें बोर्ड के समक्ष उपस्थित रहना है, की जानकारी देना चाहिए।
  - (3) इसकी सूचना संबंधित परिवीक्षा पदाधिकारी (प्रोवेशन ऑफिसर) को भी देना चाहिए (उपनियम-1)
- नामित बाल कल्याण पदाधिकारी, या अगर नहीं है तो वह पुलिस पदाधिकारी जिसने विधि विवादित बच्चे को निरूद्ध किया है, उसे बच्चों को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष (बिना समय गंवाये धारा 10) 24 घंटो के भीतर प्रस्तुत करना है। (उपनियम–2)
- किशोर को पकड़ने वाले पुलिस पदाधिकारी बच्चों को हाजत में नहीं रखेंगे और नामित बाल कल्याण पदाधिकारी को केस सुपूर्द करने में देर नहीं करेंगे। (उपनियम 3)
- जिला के बाल कल्याण पदाधिकारी एवं सदस्य विशेष किशोर पुलिस ईकाई की सूची, सपंर्क सूचना के साथ, हर थाने में प्रमुखता के साथ प्रदर्शित किया जाना चाहिए। (उपनियम 4)
- बालक कल्याण पदाधिकारी केस डायरी में किशोर की सामाजिक पृष्ठभूमि व परिस्थितियों में किए गए अपराध को लिख कर जल्द से जल्द बोर्ड को भेज दिया जायेगा। (उपनियम 6)

- बाल कल्याण पदाधिकारी विधि के उल्लंघन वाले बच्चों को तब ही निरूद्ध कर सकते है जब वह ऐसे अपराध में सलग्न है जिसमें व्यस्क के लिए 7 वर्ष से अधिक करावास की सजा है (गंभीर मामला)। (उपनियम–7) या सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर ऐसा लगता है कि वो देख–रेख एवं संरक्षण को जरूरतमंद बच्चा है तो वो अपने रिपोर्ट में वर्णणित करते हुए बोर्ड को केस बाल कल्याण समिति को ट्रांस्फर करने का सुझाव भी दे सकती है। (उपनियम–8)
- वैसे स्थिति में जहाँ बच्चे ने कानून का उल्लंघन किया है जिसमें किसी व्यस्क को 7 वर्ष करावास से कम की सजा हो (गैर गंभीर मामला) और बच्चे को निरूद्ध करना उसके हित में नहीं है, पुलिस/बाल कल्याण पदाधिकारी बच्चे द्वारा किये गये कथित उपराध की सूचना उसके माता–पिता/अभिभावक को एवं सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट के साथ बोर्ड को सूचना देंगे। (उपनियम–9)
- अगर बोर्ड की बैठक नहीं हो रही है तो विधि विवादित बच्चे को बोर्ड के किसी एक सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। (उपनियम–10)
- विधि विवादित बच्चों के संदर्भ में गैर–गंभीर मामलों में पुलिस/बाल कल्याण पदाधिकारी को एफ.आई.आर/प्राथमिकी या चार्जशिट दायर करने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ गंभीर मामलों में जैसे– बलात्कार, हत्या या ऐसे गंभीर अपराध जिसमें व्यस्क भी शामिल हो एफ.आई.आर/चार्जशीट दायर किया जायेगा। गैर गंभीर मामलों में पुलिस/बाल कल्याण पदाधिकारी जेनरल डायरी में सूचना अंकित कर बोर्ड को एक रिपोर्ट पहली सुनवाई से पहले दायर करेगी जिसमें उसके सामाजिक पृष्ठभूमि एवं परिस्थिति जिसमें बच्चें ने कानून का उल्लंघन किया, उसका उल्लेख रहेगा । (उपनियम–11)
- पुलिस/बाल कल्याण पदाधिकारी/अधिसूचित गैर–सरकारी संस्था बच्चे के सुरक्षा, भोजन एवं अन्य मूलभूत जरूरतों के लिए जिम्मेदार होगी, जब तक की बच्चा उनके साथ है। (उपनियम–12)

प्रस्तुत करने के पश्चात बोर्ड द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियां (नियम 13):

1. किशोर को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के समय उस किशोर को प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों, व्यक्तियों, अभिकरणों द्वारा संबंधित किशोर की सामाजिक पृष्ठभूमि तथा जिन परिस्थितियों में उसे पकड़ा गया, उन परिस्थितियों एवं अभिकथित अपराध करने के आरोप लगाए गए हैं, उन अपराधों का ब्यौरा दर्शाने वाली रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। बोर्ड इस रिपोर्ट का पुनरावलोकन करके प्रथम संक्षिप्त जांच में उसी दिन निम्नलिखित आदेश पारित करेगा, अर्थात्:

   क. यदि किशोर द्वारा विधि के उल्लंघन का साक्ष्य निराधार पाया जाता है अथवा वह किशोर विधि का उल्लंघन करने के छोटे–मोटे मामले में शामिल रहा है तो मामले का निपटान;

   ख. किशोर को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करते समय पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यदि किशोर को स्पष्ट शब्दों में देखरेख एवं संरक्षण का जरूरतमंद माना गया है तो उस किशोर से संबंधित मामले का बाल कल्याण समिति को हस्तांतरण;

   ग. प्रपत्र–I में आदेश पारित करके किशोर को यथास्थिति, उपयुक्त व्यक्तियों संस्थाओं या परिवीक्षा अधिकारियों की देखरेख या अभिरक्षा में छोड़ते समय अगली तारीख को जांच के लिए किशोर को प्रस्तुत करने या उसके साथ प्रस्तुत होने का निर्देश

   घ. किशोर के किसी गम्भीर अपराध में लिप्त होने के मामलों में ही प्रपत्र–II में आदेश जारी करके जांच कार्य के लम्बित रहने तक उस किशोर को संप्रेक्षणगृह या उपयुक्त संस्था में रखनाः

   ङ. जिन मामलों में जांच कार्य के लम्बित रहते किशोर को छोड़ा जा रहा हो, उन सभी मामलों में बोर्ड सुनवाई की जो अगली तारीख अधिसूचित करेगा, जो प्रथम संक्षिप्त जांच के पश्चात 15 दिन के भीतर होनी चाहिए। बोर्ड प्रपत्र–III में जारी आदेश के द्वारा संबद्ध परिवीक्षा अधिकारी से सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट मांगेगा।

2. बोर्ड निष्पक्ष एवं त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगा, अर्थात्:

क. जांच कार्य आरंभ करते समय, बोर्ड यह सनिश्चित करेगा कि विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर के साथ पुलिस द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसके अंतर्गत अधिवक्ता या परिवीक्षा अधिकारी भी है; दुर्व्यवहार नहीं किया गया है ओर ऐसा कोई दुर्व्यवहार किया गया हो तो बोर्ड सुधारात्मक उपाय करेगा;

ख. सुनिश्चित करना कि कार्यवाही के दौरान बाल अनुकूल वातावरण मिले;

ग. बोर्ड के समक्ष लाए गए प्रत्येक किशोर को उसे सुने जाने का अवसर दिया जाएगा और वह जांच में शामिल होगा;

घ. छोटे–मोटे अपराधों के मामलों का निपटान यदि किशोर न्याय पुलिस इकाई अथवा पुलिस थाने में ही न किया जा सका हो, तो उन मामलों को बोर्ड संक्षिप्त कार्यवाही अथवा जांच के माध्यम से निपटाएगा, जबकि गम्भीर अपराधों के जिन मामलों में 7 वर्ष या इससे अधिक अवधि के कारावास का दंड दिया जा सकता हो, उन मामलों में विस्तृत जांच प्रक्रिया चलाई जा सकेगी;

ङ. गंभीर अपराधों से संबंधित मामलों की जांच में भी बोर्ड सुनवाई की वही प्रक्रिया अपनाएगा, जो समन वाले मामलों के विचारण में अपनाई जाती है।

बाल कल्याण समिति (नियम 19)

- प्रत्येक जिले में कम से कम एक बाल कल्याण समिति होगी, जिसका गठन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा होगा। यह पाँच सदस्यी समिति राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। देख रेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे से जुड़े मामलो में बाल कल्याण समिति सक्षम प्राधिकरण होंगे।
- समिति मजिस्ट्रेटों की न्यायपीठ के रूप में कार्य करेगी और बाल कल्याण समिति को वही शक्तियां प्राप्त है जो दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) के अंतर्गत महानगरीय मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी

के न्यायिक मजिस्ट्रेट [धारा 29(5)]

- सुरक्षा की जरूरत सभी बच्चों को होती है। फिर भी, अपनी सामाजिक, आर्थिक या भौगोलिक स्थिति के कारण कुछ बच्चों की हालत औरों से ज्यादा नाजुक होती है। ऐसे बच्चों को किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत देख–रेख एवं जरूरतमंद बच्चों के दायरे में लाया जाता है।

1. बेघर बच्चे (फुटपाथ पर रहने वाले, विस्थापित/उजाड़े गए बच्चे, शरणार्थी इत्यादि)
2. सड़कों पर रहने वाले बच्चे
3. अनाथ या छोड़ दिए गए बच्चे
4. कामकाजी बच्चे/बाल मजदूर
5. सेक्स वर्कर के बच्चे
6. ऐसे शोषित बच्चे जिनको गैर कानूनी काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
7. खरीदे–बेचे गए बच्चे (मानव व्यापार के शिकार बच्चें)
8. हिंसक हालात में फंसे बच्चे
9. प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित बच्चे
10. एचआईवी/एड्स के शिकार बच्चे
11. लाइलाज बीमारियों से पीड़ित माता/पिता/अभिभावक के बच्चे
12. विकलांग बच्चे जिसका देख–रेख करने वाला कोई नहीं हो
13. इन सारी श्रेणियों में बच्चियाँ और भी ज्यादा खतरे में होती हैं।

समिति की बैठकें (नियम 24)

- समिति अपनी बैठकें बाल–गृह के परिसर अथवा बाल गृह के निकट किसी स्थान अथवा इस अधिनियम के अधीन चलाई जा रही किसी संस्था या अन्य उपयुक्त परिसर में आयोजित करेगी। (उपनियम 1)
- देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों की सूचना मिलने पर, यदि परिस्थितियां ऐसी हों कि बच्चे/बच्चों को समिति के समक्ष

पेश नहीं किया जा सकता, समिति बच्चे/बच्चों तक पहुंचने के लिए स्वतः जाएगी और ऐसे बालक अथवा बालकों हेतु सुविधाजनक स्थान पर अपनी बैठक आयोजिक करेगी। (उपनियम 2)

- परिसर, जहां समिति अपनी बैठकों का आयोजन करती है, बालकों के अनुकूल होगा तथा किसी भी रूप में न्यायालय कक्ष के समान नहीं दिखेगा। (उपनियम 3)
- समिति को सप्ताह में कम से कम 3 बार बैठक करना अनिवार्य है। (उपनियम 4, 6, 7)
- एक वर्ष में समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों की न्यूनतम तीन–चौथाई उपस्थिति आवश्यक होगी।
- बैठक की अवधि समिति के समक्ष लम्बित कार्य पर आधारित होगी।
- समिति का प्रत्येक सदस्य प्रत्येक बैठक में कम से कम चार घंटे उपस्थित रहेंगे।

बाल कल्याण समिति के कार्य एवं शक्तियां (नियम 25)

- समिति के समक्ष पेश किए गए बालकों का संज्ञान लेना एवं प्राप्त करना, (उपनियम क)
- समिति के समक्ष लाए गए मामले में निर्णय लेना। (उपनियम ख)
- देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद ऐसे बच्चों, जो कठिन परिस्थितियों में रहने के कारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में नहीं हैं, के पास जिला बाल संरक्षण इकाईयों अथवा राज्य संरक्षण इकाइयों अथवा राज्य सरकारों के सहयोग से पहुँचना, (उपनियम ग)
- बच्चे की सुरक्षा और कल्याण से जुड़े और उन्हें प्रभावित करने वाले सभी मुद्दों के बारे में आवश्यक जांच करना, (उपनियम घ)
- बाल कल्याण अधिकारियों/परिवीक्षा अधिकारियों/गैर–सरकारी संगठनों को सामाजिक जांच करने तथा समिति को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देना, (उपनियम ड़)

- आवश्यक देखरेख और संरक्षण, जिसके अंतर्गत तत्काल आश्रय भी है, सुनिश्चित करना, (उपनियम च)
- जिला बाल संरक्षण इकाइयों/राज्य दतक संसाधन अभिकरणों तथा अन्य अभिकरणों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई तथा समन्वय बनाना माता–पिता/संरक्षकों/उपयुक्त व्यक्ति/उपयुक्त संस्थान को आवश्यक निर्देश जारी करना बच्चे का उपयुक्त पुनर्वास एवं उनका पुनः स्थापन सुनिश्चित करना। (उपनियम छ)
- आश्रय और देखभाल के जरूरतमंद बच्चों को प्राप्त करने के लिए बाल गृहों के प्रभारी अधिकारियों को निर्देश देना एवं संस्थाओं में देखरेख संरक्षण के न्यूनतम मानक सुनिश्चित कराना। (उपनियम ज)
- उचित कार्यवाही कर 'उपयुक्त व्यक्ति' की घोषणा करना। (उपनियम ठ)
- किसी बालक को दत्तक ग्रहण के लिए नियमानुसार कानूनी रूप से मुक्त घोषित करना। (उपनियम ड)
- अपने अधिकारिता में गुमशुदा बच्चों के संबंध में जानकारी रखना तथा आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करना, (उपनियम ढ)
- देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद मामलों में बोर्ड के साथ संपर्क बनाए रखना, (उपनियम ण)
- राज्य सरकार के सहयोग से संस्थाओं में बालकों की स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए प्रत्येक संस्था (जहाँ देखरेख और संरक्षण के लिए या दत्तक ग्रहण के लिए बालक भेजे जाते हैं) कम से कम तीन मास में एक दौरा करना तथा आवश्यक कार्रवाई का सुझाव देना। (उपनियम त)

समिति से संबंधित प्रक्रिया (नियम 26)

- बैठक के लिए कोरम तीन सदस्यों की उपस्थिति होगी, जिसमें अध्यक्ष सम्मिलित है। (उपनियम 1)
- जब समिति बैठक में न हो, किसी एक सदस्य द्वारा लिए गए किसी निश्चय का समिति की अगली बैठक में अनुसमर्थन कराना अपेक्षित होगा। (उपनियम 2)

- समिति को मामले को निपटाने से पहले बच्चे की आयु, विकासात्मक स्तर, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, बच्चे की राय तथा बाल कल्याण/अधिकार मामले पर कार्य कर रहे कार्यकर्ता की सिफारिशों को ध्यान में रखना होगा। (उपनियम 3)
- मामले के अंतिम निपटान के लिए समिति के आदेश को कम से कम दो सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल होना चाहिए। (उपनियम 4)
- देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों को 24 घंटों के अंदर बाल कल्याण समिति के समक्ष निम्नलिखित में से कोई भी व्यक्ति प्रस्तुत कर सकता है। (नियम 27–1)
    - पुलिस/बाल कल्याण पदाधिकारी
    - सरकारी नौकर
    - चाइल्डलाईन या अन्य पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था
    - सामाजिक कार्यकर्त्ता
    - कोई भी जागरूकता नागरिक
    - बच्चा स्वयं
    - विशेष किशोर पुलिस ईकाई के अन्य कार्य

विशेष किशोर पुलिस इकाई

1. जिला स्तर पर विशेष किशोर पुलिस ईकाई (SJPU) बच्चों या किशोरों के प्रति सभी प्रकार की क्रूरता, उत्पीडन तथा शोषण से विधिक संरक्षण प्रदान करने के लिए रखवाले के रूप में समन्वय एवं कार्य करेगी [84 (5)]

2. विशेष किशोर पुलिस ईकाई बच्चों के विरुद्ध वयस्कों द्वारा किये गए अपराधों का संज्ञान गंभीरता से लेगी तथा यह देखेगी की उन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया जाय तथा विधि की उपयुक्त प्रावधानों के अंतर्गत मामला दर्ज किया जायगा। इस कार्य के लिए जिला स्तरीय ईकाई अन्य थानों की इकाईयों से संपर्क बनाए रखेगी [84 (6)]

3. विशेष किशोर पुलिस ईकाई विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों की पहचान करने के साथ साथ बालकों के विरुद्ध हिंसा, उपेक्षा और उनके शोषण के मामलों की रिपोर्ट करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों, पंचायतों तथा ग्राम सभाओं, निवासी कल्याण संघों से सहायता लेगी [84 (7)]

4. जिले में पुलिस अधीक्षक विशेष किशोर पुलिस ईकाई का प्रमुख होगा तथा समय समय पर इसके कार्यों का पर्यवेक्षण करेगा [84 (9)]

5. जिला बाल संरक्षण ईकाई (DCPU) विशेष किशोर पुलिस ईकाई (SJPU) को अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अपने दो सामाजिक कार्यकर्ताओं की सेवा उपलब्ध कराएगी नियम [84 (2)]

6. यदि कोई पुलिस अधिकारी बालक को मानसिक अथवा शारीरिक रूप से प्रताडित करने का दोषी जाँच के बाद पाया जाता है, तो उसपर मुक़दमा चलाने के अतिरिक्त सेवा से भी हटा दिया जायेगा [84 (11)]

❑❑❑

रैगिंग निषेध अधिनियम, 2009

''विश्वविद्यालय अनुदान के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के खतरे को रोकने के विनियम, 2009''

रैगिंग क्या है तथा कैसे होती है :-

निम्नलिखित कोई एक अथवा अनेक कार्य रैगिंग के अन्तर्गत आते हैं :–

- किसी छात्र अथवा छात्रों द्वारा नए आनेवाले छात्र का मौखिक शब्दों अथवा लिखित वाणी द्वारा उत्पात करना अथवा अनुशासनहीनता का वातावरण बनाना जिससे नए छात्र को कष्ट, आक्रोश, कठिनाई, शारीरिक अथवा मानसिक पीड़ा हो।
- किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना जो वह सामान्य स्थिति में न करे तथा जिससे नए छात्र में लज्जा, पीड़ा अथवा भय की भावना उत्पन्न हो।
- वरिष्ठ छात्र द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य जो किसी अन्य अथवा नए छात्र के चलते हुए शैक्षिक कार्य मे बाधा पहुँचाए।
- नये अथवा किसी अन्य छात्र का दूसरों को दिए गए शैक्षणिक कार्य को करने हेतु बाध्य कर शोषण करना।
- नए अथवा किसी अन्य छात्र का किसी भी प्रकार से आर्थिक शोषण करना।
- शारीरिक शोषण का कोई भी कार्य/किसी भी प्रकार का यौन शोषण, समलैंगिक प्रहार, नंगा करना, अश्लील तथा काम सम्बन्धी कार्य हेतु विवश करना, अंग चालन द्वारा बुरे भावों की अभिव्यक्ति करना, किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट जिससे किसी व्यक्ति अथवा उसके स्वास्थ्य को हानि पहुँचे।
- मौखिक शब्दों द्वारा किसी को गाली देना, ई–मेल, डाक, सार्वजनिक रूप से किसी को अपमानित करना, किसी को कुमार्ग से ले जाना, स्थानापन्न अथवा कष्टदाय देना या सनसनी पैदा करना जिससे नये छात्र को घबराहट हो।

- कोई कार्य जिससे नए छात्र के मन मस्तिष्क अथवा आत्मविश्वास पर दुष्प्रभाव पड़े। नए अथवा किसी छात्र को कुमार्ग पर ले लाना तथा उस पर किसी प्रकार की प्रभुता दिखाना।

संस्था का तात्पर्य :- संस्था का तात्पर्य वह उच्चतर शिक्षण संस्था है जो चाहे विश्वविद्यालय हो, डीम्ड विश्वविद्यालय हो, कॉलेज अथवा राष्ट्रीय महत्व की कोई संस्थान हो, जिसकी रचना संसद के अधिनियम के अनुसार की गई हो। 12वीं कक्षा के बाद स्कूल की शिक्षा के बाद की शिक्षा दी जाती हो कोई आवश्यक नहीं है कि उसमें चरम सीमा तक उपाधि दी जाती हो।

संस्था स्तर पर रैगिंग निषेध के उपाय :-

- उस संस्था के या उसके किसी भी भाग चाहे वह संस्था के परिसर में हो अथवा उसके बाहर हो अथवा सभी प्रकार के परिवहन या निजी सभी में रैगिंग निषेध के उपाय के लिए संस्था इस विनियम के अनुसार कार्यवाई करेगा।
- रैगिंग का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर रैगिंग की किसी भी घटना को संस्था द्वारा दबाया नहीं जायेगा।
- सभी संस्थायें रैगिंग के प्रचार, रैगिंग में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध इस विनियम के अनुसार कार्रवाई करेगें।

संस्था स्तर पर रैगिंग रोकने के उपाय :-

छात्रों के प्रवेश अथवा पंजीकरण के संदर्भ में संस्था रैगिंग रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठायेगें :–

- संस्था द्वारा जारी इलेक्ट्रोनिक दृश्य, श्रव्य अथवा प्रिन्ट मीडिया के छात्र को प्रवेश संबंधी घोषणा में यह बताया जाये कि संस्थान में रैगिंग पूर्णतया निषेध है।
- यदि कोई व्यक्ति रैगिंग करने अथवा उसके प्रचार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दोषी पाया जाता है, अथवा रैगिंग प्रचार के षड्यंत्र में दोषी पाया गया तो उसे इस अधिनियम के तहत दंडित किया जायेगा।

- संस्थान की प्रवेश पुस्तिका में यह भी मुद्रित किया जायेगा की रैगिंग होने पर संस्था के अध्यक्ष, संकाय सदस्य, रैगिंग विरोधी दस्तों के सदस्यों अथवा जिले के अधिकारियों, वार्डनों एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को सूचना दिया जाएगा एवं उन सबका दूरभाष नम्बर प्रवेश पुस्तिका एवं निर्देश पुस्तिका में विस्तार से अंकित होगें।
- प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र, नामांकण अथवा पंजीकरण में एक शपथ पत्र आवश्यक रूप से अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित भरा जाएगा जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि उसने इस अधिनियम के नियमों को पढ़ लिया और वह रैगिंग निषेध तथा इसके लिए निर्धारित दण्ड को जानता/जानती है।
- संस्था में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि वह किसी संस्था द्वारा निष्कासित/निकाला नहीं गया है। तथा वह रैगिंग संबंधी किसी गतिविध में संलिप्त नहीं होगा।
- इस आशय का भी घोषणा पत्र अभ्यर्थी को देना होगा कि यदि वह रैगिंग करने अथवा रैगिंग के दुष्प्रेषण का दोषी पाया गया तो उसे विधि के अनुसार दंडित किया जा सकता है और वह दंड निष्कासन तक सीमित नहीं होगा।

रैगिंग रोकने के लिए प्रत्येक संस्था निम्नलिखित नामों से समितियाँ गठित करेंगे :-

- ✓ रैगिंग विरोधी समिति (एंटी रैगिंग कमेटी) की अध्यक्षता संस्थाध्यक्ष करेंगे तथा समिति के सदस्यों को ये ही नामांकित करेंगे। इसमें पुलिस तथा नागरिक प्रशासन के प्रतिनिधि भी होंगे।
- ✓ रैगिंग विरोधी स्क्वैड का गठन प्रत्येक संस्थान अपनी संस्था में करेंगे, इसमें संस्था अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य होंगे। रैगिंग विरोधी स्क्वैड संस्थान/छात्रावास एवं संस्थान के परिसर में हर समय पेट्रोलिंग करेंगे।
- ✓ रैगिंग विरोधी दल छात्रावास तथा रैगिंग के दृष्टि से संवेदनशील स्थानों का औचक निरिक्षण करते रहेंगे।

- ✓ प्रत्येक छात्रावास अथवा स्थान जहाँ छात्र रहते हैं पूर्णकालीन वार्डन की नियुक्ति संस्था द्वारा किया जायेगा जो अनुशासन बनाये रखने और छात्रावास में रैगिंग की घटना को रोकने का प्रयास करेंगे।
- ✓ वार्डन हर समय संस्थान के परिसर में उपलब्ध रहें ताकि दूरभाष तथा संचार के साधनों से हर समय उनसे संपर्क किया जा सके।
- ✓ संस्था द्वारा कैंटिन एवं मेस के कर्मचारियों को निर्देश किया जाय की वे अपने क्षेत्र में कड़ी नजर रखें और रैगिंग की कोई भी घटना होने पर इसकी जानकारी अविलम्ब संस्था के अध्यक्ष, रैगिंग विरोधी समिति के सदस्यों अथवा वार्डन को दें।

रैगिंग की घटनाओं पर की जाने वाली कार्यवाई :-

- ➢ किसी छात्र को रैगिंग का दोषी पाये जाने पर संस्था द्वारा गठित रैगिंग विरोधी समिति उचित दण्ड के सम्बन्ध में उचित निर्णय लेगी।
- ➢ रैगिंग विरोधी समिति द्वारा अपराध की गम्भीरता को देखते हुए निम्नलिखित में कोई एक अथवा अनेक दण्ड निर्धारित कर सकता है :—
  - शैक्षिक अधिकार से निलम्बन।
  - छात्रवृत्ति/छात्र अध्येतावृत्ति तथा अन्य लाभों को रोकना।
  - परीक्षा में उपस्थित होने से वंचित करना।
  - परीक्षाफल रोकना।
  - किसी प्रकार के राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मीट से वंचित करना।
  - छात्रावास से निष्कासित करना।
  - प्रवेश रद्द करना।
  - संस्था से 04 सत्रों तक के लिए निष्कासन करना।

❑❑❑

घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005

यह अधिनियम महिलाओं के संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों के संरक्षण के लिए भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया है। इस अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाना व उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है।

घरेलू हिंसा क्या है ?

इस अधिनियम के अनुसार घरेलू हिंसा का सम्बन्ध –

- प्रतिवादी के किसी कार्य, लोप या आचरण से है जिससे व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन या किसी अंग को हानि या नुकसान हो। इसमें शारीरिक, एवं मानसिक उत्पीड़न, लैंगिक शोषण, मौखिक और भावनात्मक शोषण व आर्थिक उत्पीड़न शामिल है। व्यथित व्यक्ति और उसके किसी सम्बन्धी को दहेज, या किसी अन्य सम्पत्ति की माँग के लिए हानि या नुकसान पहुँचाना भी इसके अन्तर्गत आता है।
- **शारीरिक उत्पीड़न**-का अर्थ है ऐसा कार्य जिससे व्यथित व्यक्ति को शारीरिक हानि, दर्द हो या उसके जीवन, स्वास्थ्य, एवं अंग को खतरा हो।
- **लैंगिक शोषण** से तात्पर्य है महिलाओं को अपमानित करना, हीन समझना, उसकी गरिमा को ठेस पहुँचाना आदि।
- **मौखिक और भावनात्मक उत्पीड़न**-महिला को अपमानित करना, बच्चा न होने, व लड़का पैदा न होने पर ताने मारना आदि, और महिला के किसी सम्बन्धी को मारने, पीटने की धमकी देना।
- **आर्थिक उत्पीड़न**-का मतलब है महिला को किसी आर्थिक एवं वित्तीय साधन जिसकी वह हकदार है, उससे वंचित करना, स्त्रीधन व कोई भी सम्पत्ति जिसकी वह अकेली अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ हकदार हो, आदि को महिला को न देना या उस सम्पत्ति

को उसकी सहमति के बिना बेच देना आदि आर्थिक उत्पीड़न की श्रेणी में आते हैं। उपरोक्त सभी कृत्यों को घरेलू हिंसा माना गया है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत केवल पत्नी ही नहीं बल्कि बहन, विधवा, माँ अथवा परिवार के किसी भी सदस्य पर शारीरिक, मानसिक, लैंगिक, भावनात्मक एवं आर्थिक उत्पीड़न को घरेलू हिंसा माना गया है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित परिभाषाएं भी दी गई है।

- **पीड़ित व्यक्ति-**ऐसी कोई महिला जिसका प्रतिवादी से पारिवारिक सम्बन्ध हो या रह चुका हो और जिसको किसी प्रकार की घरेलू हिंसा से प्रताड़ित किया जाता हो।
- **घरेलू हिंसा की रिपोर्ट-**इसका अर्थ है वह रिपोर्ट जो पीड़ित व्यक्ति द्वारा घरेलू हिंसा की सूचना देने पर एक विहित प्रारूप में तैयार की जाती है।
- **घरेलू सम्बन्ध-**दो व्यक्ति जो साथ रहते हों या कभी गृहस्थी में एक साथ रहे हों यह सम्बन्ध सगोत्रता, विवाह, या गोद लिए जाने के द्वारा या परिवार के सदस्यों का संयुक्त परिवार में रहने से हो सकता है, उसको घरेलू सम्बन्ध कहते हैं।
- **गृहस्थी में हिस्सा-**इसका अर्थ है जहां पर व्यथित व्यक्ति घरेलू सम्बन्ध के द्वारा अकेले या प्रतिवादी के साथ रहता है या रहता था। इसके अन्तर्गत वह घर जो कि संयुक्त रूप से व्यथित व्यक्ति या प्रतिवादी को हो या किराए पर हो, या दोनों का या किसी एक पक्ष का उसमें कोई अधिकार, हक, हित, और ऐसा घर जो प्रतिवादी के संयुक्त परिवार को हो चाहे उसमें प्रतिवादी और व्यथित व्यक्ति का कोई अधिकार, हक, हित हो या न हो।
- **संरक्षण अधिकारी-**इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार हर जिले में एक या जितने वह उचित समझे संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेगी, जो इस अधिनियम के अनुसार अपने कर्त्तव्यों का पालन करेगा।
- जहां तक हो सके यह अधिकारी महिला होनी चाहिए।

- **सेवा प्रदान करने वाली संस्थाएं (सर्विस प्रोवाइडर)-** इस अधिनियम के अन्तर्गत स्वैच्छिक संस्थाएँ जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) अधिनियम या कम्पनीज अधिनियम, अथवा किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हों, और जिनका उद्देश्य महिलाओं के अधिकार, उनके हित की रक्षा करना, और उन्हें विधिक, चिकित्सीय, आर्थिक एवं अन्य सहायता, प्रदान करना हो, उन संस्थाओं को इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार के समक्ष अपना पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) कराना होगा। तभी वह इस अधिनियम के अन्तर्गत सेवा उपलब्ध कराने योग्य समझे जाएंगे।

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

घरेलू हिंसा की शिकार हो रही महिला या संरक्षण

अधिकारी या जो व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधियों को देख रहा है, मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकता है।

- आवेदन पत्र मिलने के बाद मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई की तारीख घोषित की जायेगी जो आवेदन पत्र मिलने के तीन दिन के भीतर हो सकती है।
- प्रार्थना पत्र का फैसला मजिस्ट्रेट द्वारा 60 दिन के अन्दर कर दिया जायेगा। मजिस्ट्रेट सुनवाई की तारीख संरक्षण अधिकारी को देगा।
- इसके बाद संरक्षण अधिकारी प्रतिवादियों को सुनवाई की तारीख की सूचना दो दिनों के अन्दर या मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार देगा।
- ऐसे मामलों की सुनवाई इन कैमरा या (बन्द न्यायालय) में भी की जा सकती है।

अधिनियम के अन्तर्गत दिए जाने वाले आदेश

1. संरक्षण से सम्बन्धित आदेश

अगर मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि किसी जगह घरेलू हिंसा की घटना घटित हुई है तो वह प्रतिवादी पर निम्नलिखित प्रतिबन्ध लगा सकता है।

- किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा की घटना करने से या उसमें मदद करने से।
- उस स्थान में प्रवेश करने से जिसमें व्यथित महिला निवास कर रही हो और अगर व्यथित व्यक्ति कोई बच्चा है तो उसके स्कूल में प्रवेश करने से।
- व्यथित व्यक्ति से किसी भी प्रकार का सम्पर्क स्थापित करने जैसे बातचीत, पत्र या टेलीफोन आदि।
- प्रतिवादी को अपनी सम्पत्ति या संयुक्त सम्पत्ति को बेचने से और बैंक लॉकर, खाते आदि जो संयुक्त या निजी हो उसके प्रयोग से भी रोका जा सकता है।
- महिला पर आश्रित, उसके सम्बन्धियों व पीड़ित महिला की सहायता करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध किसी भी प्रकार की हिंसा करने से भी रोका जा सकता है।

2. निवास स्थान संबन्धी आदेश

आवेदन पत्र मिलने पर यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि, महिला घरेलू हिंसा की शिकार है। तो प्रतिवादी के विरूद्ध निम्नलिखित आदेश पारित कर सकता है–

- जिस घर में महिला निवास कर रही है प्रतिवादी उसे वहाँ से नहीं निकाल सकता है।
- प्रतिवादी और उसके किसी रिश्तेदार को महिला के निवास स्थान में न घुसने का आदेश भी दे सकता है।
- प्रतिवादी को उस घर को बेंचने या किसी को देने से भी रोका जा सकता है।
- प्रतिवादी को पीड़ित महिला के लिए अलग से घर की व्यवस्था करने, उसका किराया देने आदि का भी आदेश दिया जा सकता है।
- पीड़ित व उसके बच्चे की सुरक्षा के लिए मजिस्ट्रेट जो उचित समझे प्रतिवादी को आदेश दे सकता है।

- मजिस्ट्रेट प्रतिवादी को पीड़ित महिला का स्त्रीधन, अन्य सम्पत्ति वापस करने का आदेश भी दे सकता है।

3. अभिरक्षा संबन्धी आदेश

मजिस्ट्रेट संरक्षण या अन्य राहत के लिए दिए गए आवेदन की सुनवाई के समय पीड़ित व्यक्ति को अपने बच्चों को अस्थाई रूप से अपने पास रखने का भी आदेश दे सकता है। प्रतिवादी को बच्चों से मिलने से भी रोका जा सकता है, यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि यह बच्चों के हित में नहीं है।

4. आर्थिक राहत

मजिस्ट्रेट ऐसे मामलों में आर्थिक राहत के आदेश भी दे सकता है। जिससे व्यथित व्यक्ति अपना व अपने बच्चे का खर्च पूरा कर सके, और ऐसी आर्थिक राहत में कई चीजें सम्मिलित हो सकती है जैसे–

1. आय का नुकसान।
2. चिकित्सीय खर्च।
3. किसी सम्पत्ति जिस पर व्यथित व्यक्ति का नियंत्रण हो, उसका नुकसान, बर्बादी, या उस सम्पत्ति से उसे निकाल देने का हर्जाना।
4. और भरण पोषण के आदेश।

ऐसी आर्थिक राहत मजिस्ट्रेट पूरी एक साथ या मासिक किस्त के रूप में देने का आदेश पारित कर सकता है।

5. मुआवजे से संबंधित आदेश

मजिस्ट्रेट इस अधिनियम में दी गई राहत के अलावा प्रतिवादी को पीड़ित व्यक्ति को हुई मानसिक, भावनात्मक पीड़ा के लिए भी मुआवजे का आदेश दे सकता है।

6. सलाह और विशेषज्ञ की मदद

मजिस्ट्रेट एक पक्ष के लिए या दोनों पक्षों के लिए सलाह के आदेश दे सकता है। सहायता के लिए किसी विशेषज्ञ की मदद भी ली जा सकती है।

अन्य आदेश

- मजिस्ट्रेट प्रतिवादी को उत्पीड़ित महिला को अर्थिक सहायता देने का आदेश दे सकता है।
- यदि मजिस्ट्रेट को आवेदन पत्र मिलने पर यह लगता है कि महिला घरेलू हिंसा से पीड़ित है, तो वह प्रतिवादी की अनुपस्थिति में उसके विरूद्ध आदेश पारित कर सकता है।
- मजिस्ट्रेट अन्तरिम आदेश भी पारित कर सकता है।
- इस अधिनियम के अन्तर्गत दिए गए आदेश की निःशुल्क कॉपी दोनों पक्षों, सम्बन्धित पुलिस अधिकारी,सहायता प्रदान करने वाले संगठन जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार में हों, तथा घरेलू हिंसा के बारे में जानकारी देने वाले संगठन को दी जाएगी।
- इस अधिनियम के अन्तर्गत मिलने वाली राहत के अलावा या इसके साथ पीड़ित महिला प्रतिवादी के विरूद्ध दीवानी न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, या आपराधिक न्यायालय में भी वाद दायर कर सकती है।
- राज्य सरकार इस अधिनियम के अन्तर्गत आश्रयगृह अधिसूचित करेगी।
- पीड़ित महिला ऐसे आश्रय गृहों में भी आश्रय ले सकती हैं। ऐसे आश्रय गृहों के संचालकों का दायित्व है कि वह पीड़ित महिला को आश्रय दें।
- पीड़ित महिलाओं को चिकित्सीय सुविधा का भी अधिकार है। प्रत्येक चिकित्सक का कर्त्तव्य है कि वह उन्हें जरूरी चिकित्सीय सुविधा प्रदान करें।

संरक्षण अधिकारी के कर्त्तव्य

इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार हर जिले में संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेगी। जहाँ तक हो सके यह अधिकारी महिला होनी चाहिये। झारखण्ड में संरक्षण अधिकारी सी.डी.पी.ओ. को नामित किया गया है।

संरक्षण अधिकारी के कर्त्तव्य है कि वह –

1. इस अधिनियम में दिये गये मजिस्ट्रेट के कार्यों को पूरा करने में उसकी मदद करे।
2. घरेलू हिंसा की शिकायत मिलने पर एक घरेलू घटना रिपोर्ट तैयार करें। संरक्षण अधिकारी यह रिपोर्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी को देगा।
3. उत्पीड़ित महिला को विधिक सेवा प्राधिकरण, 1987 के अन्तर्गत निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराएगा।
4. उन सभी गैर सरकारी संस्थानों की सूची तैयार करेगा, जो पीड़ित को निःशुल्क विधिक सेवा, निःशुल्क चिकित्सा सेवा तथा आश्रय गृह उपलब्ध कराते हैं।
5. पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षा आश्रय गृह प्राप्त करवाना और जरूरत हो तो ऐसा करने की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन एवं मजिस्ट्रेट जिसके क्षेत्राधिकार में ऐसा आश्रय गृह है उनको देगा।
6. पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सीय जाँच करवाएगा और जाँच रिपोर्ट पुलिस थाने में और मजिस्ट्रेट को देगा।

सरकार के कर्त्तव्य

इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय ओर राज्य सरकार के निम्नलिखित कर्त्तव्य हैं–

1. अधिनियम के बारे में लोगों को जागरूक करना।
2. सम्बन्धित अधिकारियों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था करना।
3. विभिन्न विभागों जैसे विधि मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय व सम्बन्धित विभागों के बीच सामंजस्य स्थापित करना।

सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं (सर्विस प्रोवाइडर) के कर्त्तव्य

- पीड़ित व्यक्ति के कहने पर घरेलू हिंसा की घटना की रिपोर्ट तैयार करना व उस क्षेत्र के संरक्षण अधिकारी व मजिस्ट्रेट को भेजना।

- पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सीय जाँच करवाना, व उसकी रिपोर्ट संरक्षण अधिकारी व क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में देना।
- पीड़ित व्यक्ति के कहने पर उसे आश्रय गृह में आश्रय प्रदान करवाना व ऐसे आश्रय गृहों की रिपोर्ट सम्बन्धित पुलिस स्टेशन में देना।

इस अधिनियम के अन्तर्गत जारी किये गये आदेशों की पूर्ति न करने पर निम्नलिखित दण्ड का प्रावधान है।

- ऐसे में प्रतिवाद को अधिकतम एक वर्ष की जेल अथवा 20,000 रूपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
- भारतीय दण्ड संहिता 1960 की धारा 498–ए या दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अन्तर्गत आरोप लगाया जा सकता है।
- संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्त्तव्यों की पूर्ति न करने पर ऐसे संरक्षण अधिकारी को अधिकतम एक वर्ष की जेल या 20,000 जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

शिकायत कहाँ दर्ज करा सकते हैं।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जिसके क्षेत्राधिकार में–

1. पीड़ित महिला स्थाई या अस्थाई रूप से रह रही हो या व्यवसाय अथवा नौकरी करती हो। या
2. प्रतिवादी जहाँ रह रहा हो या व्यवसाय या नौकरी कर रहा हो। या
3. जहाँ पर विवाद का कारण उत्पन्न हुआ हो।

इस अधिनियम के अन्तर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट संरक्षण आदेश तथा अन्य आदेश भी पारित कर सकता है।

❑❑❑

निरूशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

यह अधिनियम भारतीय संसद द्वारा सन् 2009 में पारित किया गया। इस अधिनियम के लागू होने से बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया है। इस अधिनियम की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं :–

- ❖ 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।
- ❖ निजी स्कूलों को 25 प्रतिशत गरीब बच्चों को पहली कक्षा में नामांकन एवं मुफ्त पढ़ाना होगा। इन बच्चों से फीस वसूलने पर दस गुना जुर्माना होगा। शर्त नहीं मानने पर मान्यता रद्द हो सकती है। मान्यता निरस्त होने पर स्कूल चलाया तो एक लाख और इसके बाद रोजाना 10 हजार जुर्माना लगाया जायेगा।
- ❖ विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा के लिए उम्र बढ़ाकर 18 साल रखी गई है।
- ❖ बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराना राज्य और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी.
- ❖ इस विधेयक में दस अहम लक्ष्यों को पूरा करने की बात कही गई है। इसमें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने, शिक्षा मुहैया कराने का दायित्व राज्य सरकार पर होने, स्कूल पाठ्यक्रम देश के संविधान की दिशानिर्देशों के अनुरूप और सामाजिक जिम्मेदारी पर केंद्रित होने और एडमिशन प्रक्रिया में पेचीदगी कम करना शामिल है।
- ❖ प्रवेश के समय कई स्कूल केपिटेशन फीस की मांग करते हैं और बच्चों और माता–पिता को इंटरव्यू की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। एडमिशन की इस प्रक्रिया को बदलने का वादा भी इस विधेयक में किया गया है।

- ❖ बच्चों की स्क्रीनिंग और अभिभावकों की परीक्षा लेने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना। दोहराने पर जुर्माना 50 हजार।
- ❖ शिक्षक ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे।
- ❖ पुस्तकें एवं ड्रेस मुफ्त दिए जाने का प्रावधान है।
- ❖ स्कूल प्रबंधन समिति बनाने की बात है जो विद्यालय और फण्ड से सम्बंधित गतिविधियों की निगरानी करेगा। इसके सदस्य शिक्षक, विद्यार्थिओं के अभिभावक, जन प्रतिनिधि एवं बच्चे होंगे।
- ❖ इस कानून के लागू करने की मोनिटरिंग केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) एवं राज्य स्तर पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (SCPCR) करेगा।

❑❑❑

दंड विधि (संशोधन) अधिनयम, 2013

- यह अधिनियम 3 फ़रवरी, 2013 से भारत में लागू होगा।
- जो कोई लोक सेवक कानून के तहत दिये गए दिशा निर्देश की अवहेलना करता है, तो उसे छः माह से दो साल तक कारावास और जुर्माने से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। (धारा 166 A)
- जो कोई अस्पताल (सरकारी या गैर–सरकारी) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 376 (घ) का उल्लंघन करते हुए पीड़ित का उपचार करने से मना करेगा उसे एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। (166 B)
- जो कोई व्यक्ति तेज़ाब के प्रयोग से किसी व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल करता है, तो उसे कम से कम दस साल का कारावास से उम्र कैद तक हो सकती है साथ ही जुर्माना जो कि पीड़ित को प्राप्त होगा। (326 A)
- जो कोई व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति को घायल करने के उद्देश्य से तेज़ाब फेंकता है या ऐसा करने का प्रयास करता है, तो उसे पांच वर्ष से लेकर सात वर्ष कारावास की सजा और जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। (326 B)
- जो कोई व्यक्ति, किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो उसे एक वर्ष से लेकर पांच वर्ष तक का कारावास और जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। (354)
- यदि कोई पुरुष, किसी महिला के साथ ना पसंद किया जाने वाला शारीरिक संपर्क करता है और अंगक्रिया की प्रकृति का लैंगिक उत्पीडन या अश्लील चित्र दिखाते हुए यौन क्रिया की स्वीकृति के लिए मांग या अनुरोध करता है, तो दोषी व्यक्ति को तीन वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। (354A)

- जो कोई पुरुष, किसी स्त्री के प्रति यौन उत्पीडन करने के उदेश्य सेलैंगिकप्रतीत होने वाली टिप्पणी करता है, तो उसे एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। (354A)
- जो कोई पुरुष, स्त्री के कपडे उतारने के उद्देश्य से उस पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो उसे तीन वर्ष से सात वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। (354B)
- जो कोई पुरुष निजी कार्य में संलग्न स्त्री को छुप कर देखता है या चित्र खींचता है, तो उसे पहली बार दोषी पाए जाने पर एक वर्ष से तीन वर्ष तक कारावास और जुर्माना दिए जाने का प्रावधान है. यदि वह पुरुष दुबारा ऐसा काम करता है, तो उसे तीन वर्ष से सात वर्ष तक सजा और जुर्माना दिए जाने का प्रावधान है। (354C)
- जो कोई पुरुष, स्त्री का पीछा करता है या स्त्री की अनिच्छा के बावजूद संपर्क करने का प्रयास करता है, तो उसे तीन वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दण्डित किये जाने का प्रावधान है. यदि वह पुरुष दुबारा ऐसा करता है, तो पांच वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। (354D)
- जो कोई व्यक्ति मानव–व्यापार करने का दोषी होता है, तो उसे सात वर्ष से दस वर्ष तक का कारावास और जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। (370)
- यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक व्यक्तियों के मानव–व्यापार में शामिल होता है, तो उसे दस वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माने से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। (370)
- जो कोई व्यक्ति अवयस्क का मानव–व्यापार करता है, तो उसे दस वर्ष से आजीवन कारावास और जुर्माने से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। (370)

- जो कोई व्यक्ति एक से अधिक अवयस्क का मानव–व्यापार करता है, तो उसे चौदह वर्ष से आजीवन कारावास और जुर्माने से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। (370)
- जो कोई व्यक्ति एक बार से ज्यादा बार अवयस्क का मानव–व्यापार करने का दोषी होता है, तो उसे आजीवन कारावास और जुर्माने से दण्डित किये जाने का प्रावधान है. यहाँ आजीवन कारावास का अर्थ है, कि व्यक्ति जबतक जीवित रहता है। (370)
- जो कोई लोक सेवक या पुलिस पदाधिकारी अवयस्क के मानव–व्यापार का दोषी होता है, तो उसे आजीवन कारावास और जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है. यहाँ आजीवन कारावास का अर्थ है, कि व्यक्ति जबतक जीवित रहता है। (370)
- यदि मानव–व्यापार से पीड़ित शिशु का शोषण किया जाता है, तो दोषी व्यक्ति को पांच वर्ष से सात वर्ष तक कारावास और जुर्माने से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। (370A)
- यदि मानव–व्यापार से पीड़ित व्यक्ति का शोषण किया जाता है, तो दोषी व्यक्ति को तीन वर्ष से पांच वर्ष तक कारावास और जुर्माना दिए जाने का प्रावधान है। (370A)
- यदि कोई पुरुष महिला के साथ रेप या बलात्संग करने का दोषी पाया जाता है, तो उसे सात वर्ष से आजीवन कारावास और जुर्माने से दण्डित किए जाने का प्रावधान है। (376)
- यदि कोई पुलिस अधिकारी या लोक सेवक या सशस्त्र बल का सदस्य या बालक या स्त्री के लिए संस्था का व्यक्ति या अस्पताल के प्रबंधन में रहने वाला व्यक्ति द्वारा या जिसपर वह विश्वास करता है उसके द्वारा रेप या बलात्संग करने का दोष साबित होता है, तो दोषी व्यक्ति को दस वर्ष से आजीवन कठोर कारावास की सजा और जुर्माने से दण्डित किये जाने का प्रावधान है. यहाँ आजीवन कारावास का अर्थ है, कि व्यक्ति जबतक जीवित रहता है। (376)

- जो कोई पुरुष स्त्री के साथ रेप या बलात्संग करता है और इसके परिणामस्वरूप स्त्री की मृत्यु हो जाती है या वह लगातार निष्क्रिय स्थिति में रहती है, तो दोषी व्यक्ति को बीस वर्ष से आजीवन कारावास या मृत्यु–दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान है. (376A)
- यदि पत्नी पति से अलग रह रही हो और इस दौरान पति द्वारा पत्नी के साथ उसकी मर्जी के बिना यौन सम्बन्ध बनाया जाता है, तो दोषी को दो वर्ष से सात वर्ष तक कारावास और जुर्माने से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। (376B)
- यदि किसी व्यक्ति के प्राधिकार या प्रबंधन या विश्वास में रहते हुए स्वयं उसी के द्वारा स्त्री की सम्मति या ईच्छा नहीं होने के बावजूद यौन सम्बन्ध बनाया जाता है,तो दोषी व्यक्ति को पांच वर्ष से दस वर्ष तक कठोर सजा और जुर्माने से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। (376C)
- सामूहिक रेप या बलात्कार करने पर दोषी व्यक्तियों को बीस वर्ष से आजीवन कठोर कारावास और जुर्माने से दण्डित किये जाने का प्रावधान है. जुर्माना की राशि पीडिता को दिया जायेगा. यहाँ आजीवन कारावास का अर्थ है, कि व्यक्ति जबतक जीवित रहता है। (376D)

मानव-व्यापार (ह्यूमन ट्रैफिकिंग) की परिभाषा

जो कोई भी व्यक्ति शोषण करने के उद्देश्य से बच्चा/महिला/पुरुष को प्रलोभन/भय/ताकत/बल/गरीबी या कमजोरी का फायदा उठाकर/धोखे से उसके/उसके अभिभावक के सहमति या बिना सहमति के भर्ती करता है, आश्रय देता है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है या, लाभ कमाता है वह मानव व्यापार का अपराध करता है। जैसे – भीख मंगवाना, अंग बिक्री करना, मजदूरी कराना, वैश्यावृति कराना इत्यादि।

❑❑❑

गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971

आशा तीन बच्चों की माँ है। आठ हफ्ते हुए उसे गर्भ फिर ठहरा है। माता जी ने आशा को कहा, 'बहू, जाओ चिकित्सा केन्द्र से डॉक्टरनी जी को दिखा आओ।' आशा अगले दिन चिकित्सा केन्द्र गयी। डॉक्टरनी जी ने कहा, 'आओ आशा। सब ठीक तो है ना ?' आशा ने सिर झुका लिया। वह बोली, 'दीदी आपके कहने के बावजूद मुझे फिर गर्भ ठहर गया है।' डॉक्टरनी जी बोली, 'आशा! तो क्या तुमने परिवार नियोजन के साधन अपनाये ही नहीं ?' आशा बोली, 'जी अपनाये थे पर असफल रहे।' डॉक्टरनी बोली, 'आशा, यह तो ठीक नहीं हुआ। तीन बच्चों को जन्म दे चुकी हो। तुम्हारे शरीर में अब कितनी ताकत रही है ? तीन बच्चे संभालना भी कोई सरल काम नहीं। फिर बच्चे के स्वास्थ्य का सोचो।

अधिक सन्तानें होने से न माँ स्वस्थ रहती है न बच्चे।' आशा ने कहा, 'यह बात तो ठीक है। मेरी सबसे छोटी बच्ची हमेशा बीमार रहती है। मैं भी बहुत कमजोरी महसूस करने लगी हूँ। मैं क्या करूँ?' डॉक्टरनी ने आशा की पूरी जांच की। उन्हें पता चला कि आशा के खून में 'हिमोग्लोबिन' बहुत कम था। उसका शरीर कमजोर और शिथिल पड़ गया था। वह मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं थी। तीन बच्चों को पालना ही मुश्किल हो रहा है। चौथ बच्चा आ जायेगा तो क्या होगा, यह सोचकर ही आशा घबरा उठती है।

डॉक्टरनी ने कहा, 'आशा, मेरी राय में तो तुम्हें इस बच्चे को गिरा देना चाहिए। तुम कल अपने पति के साथ मेरे पास आना। मैं उसे भी समझा दूँगी।'

आशा ने घर जाकर अपने पति सोहन से सारी बात कही। सोहन

ने कहा, 'क्या बात करती हो ? हम सबको जेल भिजवाओगी? बच्चे को जान–बूझकर गिरवाने वाले को सजा और जुर्माना हो सकता है। मैं डॉक्टरनी से जाकर पूछता हूँ कि यह सलाह कैसे दी?'

अगले दिन आशा और सोहन चिकित्सा केन्द्र में डॉक्टरनी के पास पहुँचे। सोहन अभी भी गुस्से में था। वह बोला, 'डॉक्टरनी जी! आप पढ़ी–लिखी होकर बच्चा गिराने की सलाह कैसे दे रही हैं ? मुझे इसके कानून के बारे में सब मालूम है। मेरे दोस्त रामू ने अपनी पत्नी लता का गर्भ दाई को बुलवाकर गिरवा दिया था। उसके ससुर ने थाने में रिपोर्ट लिखवा दी। रामू को और दाई को सजा और जुर्माना हुआ था।

डॉक्टरनी बोली : 'हाँ वह किस्सा मैंने भी सुना था। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि उन्हें सजा क्यों हुई थी, क्योंकि वह बच्चा गैरकानूनी ढंग से गिराया था।' सोहन ने कहा, 'वह कैसे' ? डॉक्टरनी जी बोली, 'रामू ने लता का बच्चा जबरदस्ती गिरवाया था। वह बच्चा गिरवाना नहीं चाहती थी। दूसरा, उनके पास कोई कानूनी कारण नहीं था जिसके लिये वे गर्भ गिरवा सकते थे।

तीसरा, रामू ने दाई को बुलाकर लता का गर्भ गिरवाया। यह काम तो केवल रजिस्ट्रीकृत डॉक्टर या डॉक्टरनी ही कर सकते हैं। यानि कोई ऐसा डॉक्टर या ऐसी डॉक्टरनी, जिसे सरकार की तरफ से इलाज करने की अनुमति हो। इसके लिए सरकारी चिकित्सा केन्द्र में ही जाना पड़ता है। दाईयों, नर्सों या छोटे–मोटे घरेलु चिकित्सकों से बच्चा गिरवाना अपराध है। इसलिए दाई को भी सजा हुई थी।

आशा ने पूछा, 'तो कानूनी तौर से बच्चा कब गिरा सकते हैं ?' डॉक्टरनी जी बोली, बहुत–सी ऐसी स्थितियाँ होती हैं, जिनमें बच्चा गिराना कानून की नजर में अपराध नहीं होता।

- यह बातें गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 नामक

कानून में लिखी हैं। कानून के मुताबिक ऐसी स्थितियों में बच्चा गिराना ठीक होगा :

क. यदि बच्चे को रखने में माँ के जीवन को खतरा हो,

ख. माँ के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को काफी खतरा हो

ग. गर्भ बलात्कार के कारण ठहरा हो,

घ. बच्चा गंभीर रूप से विकलांग पैदा हो सकता हो,

ङ. स्त्री पुरूष द्वारा अपनाया गया कोई परिवार नियोजन का साधन असफल रहा हो,

च. स्त्री की अवस्था या वातावरण देखते हुए उसके स्वास्थ्य को खतरा हो।

ऐसा कोई कारण रामू और लता के पास नहीं था।

अब आशा और सोहन की चिन्ता दूर हो गयी। उनके कन्धों से जैसे बहुत बड़ा भार उतर गया हो। सोहन बोला : 'तो डॉक्टरनी जी, जन्म से पहले कभी भी बच्चा गिराया जा सकता है?'

डॉक्टरनी जी बोली : 'नहीं, नहीं! अभी जो मैंने बातें बताई, अगर उनमें से कोई बात उपस्थित हो, तो भी, बच्चा 12 सप्ताह से पहले ही गिराया जा सकता है।

हाँ, 12 सप्ताह से पहले बच्चा गिराने की सलाह एक डॉक्टर या एक डॉक्टरनी दे सकती है। लेकिन अगर समय बढ़ गया हो तो दो डॉक्टरों की सलाह होनी जरूरी है। फिर भी 20 सप्ताह से ऊपर समय नहीं बीतना चाहिए।'

आशा ने पूछा, 'क्या गर्भपात किसी भी अस्पताल में करवा सकते हैं?'

डॉक्टरनी ने कहा, 'नहीं, गर्भपात केवल सरकारी अस्पताल में

करवाना चाहिए।'

परन्तु किसी निजी चिकित्सा केन्द्र में करवा रहे हैं तो ध्यान रहे कि वहाँ 'फार्म बी' लगा हुआ हो। 'फार्म बी' वह पत्र है जिसमें सरकार ने उस चिकित्सा केन्द्र को अल्ट्रसाऊंड या गर्भपात करने की मान्यता दी है।

आशा और उसके पति ने डिस्पेन्सरी के बाहर जाकर सलाह की। फिर डॉक्टरनी जी ने उन्हें गर्भ समाप्त करने के लिए दो दिन बाद की तारीख दी।

आशा के पति ने भी परिवार नियोजन का ऑपरेशन करवाने का फैसला किया। अब उनके और उनके परिवार का भविष्य कुछ अच्छा दिखने लगा।

❑❑❑

गर्भधारण पूर्व तथा जन्म पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994

लिंग जाँच रोकने का कानून

जब अमिता गर्भवती हो गई तो उसका पति श्याम उसे डॉक्टर के पास ले गया। अमिता को लगा कि उसका पति बच्चे के स्वास्थ्य के लिए चिंतित है। परन्तु जब डॉक्टर ने एक बच्ची के चित्र की ओर संकेत किया तो अमिता समझ गई कि यह सब बच्चे का लिंग जानने के लिए किया गया था। यानि पता लगाना कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। उसने श्याम से कहा यह गैर–कानूनी है।

हमारे समाज में हमेशा लड़के और लड़कियों में भेदभाव चला आ रहा है। लड़कियाँ दुर्व्यवहार, भेदभाव और शोषण की शिकार रही हैं। लड़कियों की ओर इस नजरिये का नतीजा यह था कि लड़कियों को अक्सर जन्म होते ही मार दिया जाता था। जहर देना, गला घोंटना यह सब रास्ते अपनाये जाते थे।

लेकिन आज के वैज्ञानिक युग में बच्चे के जन्म से पूर्व ही अल्ट्रा-साऊण्ड या सोनोग्राफी जैसी तकनीक का गलत उपयोग करके यह जानने की कोशिश की जाती है कि बच्चा लड़का है या लड़की। यह पता चलते ही कि गर्भ में लड़की पल रही है उसका जन्म होने से पूर्व ही गर्भपात करवाकर उसे खत्म कर दिया जाता है। इसके इतने भयंकर परिणाम हो गये हैं कि लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या लगातार कम होने लगी है। इसलिये इस तकनीक का गलत उपयोग रोकने के लिये गर्भधारण पूर्व और प्रसुति पूर्व निदान, तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 बनाया गया।

यह कानून कहता है :

- किसी भी प्रकार की वैज्ञानिक तकनीक, जो बच्चे के जन्म के पहले किसी प्रकार की विकलांगता इत्यादि का पता चलाने के लिए प्रयोग

में लाई जाती हो, वह केवल उसी प्रयोग में लाई जा सकती है। उनका किसी दूसरे काम के लिए प्रयोग में लाना गैर–कानूनी है।

- फिर भी, ऐसी तकनीक का प्रयोग तभी किया जा सकता है जबकि महिला की उम्र 35 साल से ऊपर हो,
  - ❖ उसके दो या अधिक प्राकृतिक गर्भपात हो चुके हो
  - ❖ महिला हानिकारक दवाईयों, रेडिएशन इत्यादि से प्रभावित हो
  - ❖ महिला या उसके पति के परिवारों में मानसिक या शारीरिक विकलांगता का इतिहास हो
- ऊपर दी गई परिस्थितियों में भी अल्ट्रा-साऊण्ड करने वाले व्यक्ति को
  - ❖ परीक्षण (टेस्ट) का पूरा ब्यौरा रखना होगा।
  - ❖ ऐसा न करने पर उसे इस कानून में दण्ड दिया जा सकता है।
  - ❖ टेस्ट करने वाले को उसके संभावित खराब असर के बारे में समझाना होगा।
  - ❖ टेस्ट के लिए महिला की लिखित अनुमति लेनी होगी और उसे इस अनुमति की कॉपी देनी होगी।

कोई भी व्यक्ति चाहे वह उसका पति या अन्य रिश्तेदार क्यों न हो, किसी महिला को गैरकानूनी टेस्ट के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। यदि करें, तो उन्हें इस कानून में सजा हो सकती है।

- गर्भ की लिंग जाँच इस कानून में दण्डनीय है। किसी भी व्यक्ति द्वारा शब्दों, इशारों या अन्य तरीके से गर्भ का लिंग बताना दण्डनीय है। कोई भी व्यक्ति जो गर्भ की लिंग जाँच या चयन के लिए इन तकनीकों की सहायता लेता है, इस कानून में दण्ड पा सकता है। अगर किसी औरत को जाँच के लिए मजबूर किया गया हो तो उस औरत को सजा नहीं दी जाएगी।

इसकी सजा है 3 साल तक की जेल और 50,000/– रूपए तक का जुर्माना। दोबारा अपराध करने से 5 साल तक की जेल और 1,00,000/– रूपए तक का जुर्माना हो सकता है।

कोई भी डॉक्टर या तकनीकी सहायक जो ऐसा गैर–कानूनी टेस्ट करता है उसे 3 साल तक की जेल और 10,000/– रूपए तक का जुर्माना हो सकता है।

यदि अपराध दोबारा किया जाए तो उसे 5 साल तक की जेल हो सकती है और 50,000/– रूपए तक का जुर्माना हो सकता है।

- लिंग जाँच या लिंग चयन के लिए किसी प्रकार का इश्तिहार/विज्ञापन देना दण्डनीय है। ऐसा करने के लिए दण्ड है 3 साल तक की जेल और 10,000/– रूपए तक का जुर्माना।

लिंग जाँच करवाने वाले पंजीकृत डायग्नोस्टिक केन्द्र या क्लीनिक का क्या होगा?

ऐसे केन्द्रों का पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) रद्द कर दिया जाएगा और उसे सील कर दिया जाएगा। यानि वह अब वहाँ अपना कारोबार नहीं चला सकते।

यदि आप किसी ऐसे क्लीनिक, डॉक्टर या व्यक्ति को जानते हैं जो लिंग जाँच या चयन कराते हों तो उनकी शिकायत अपने क्षेत्र के 'समुचित प्राधिकरण' को करें। ये आमतौर पर जिला के कलेक्टर जैसे कोई अधिकारी होते हैं।

❑❑❑

महिलाओं के साथ छेड़छाड़ से सम्बन्धित अपराध

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 354, 354 (क, ख, ग, घ) एवं 509 के अन्तर्गत महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करना एक संज्ञेय अपराध है।

1. **भा0 द0 वि0 की धारा 294** के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल पर कोई अश्लील हरकत करता है या अश्लील गाना या अश्लील शब्द जिससे अन्य को तकलीफ हो, करता है वह तीन माह का कारावास एवं अर्थ दण्ड की सजा का भागीदार होगा।

2. **भा0 द0 वि0 की धारा 354** के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी भी स्त्री के साथ उसकी लज्जा भंग करने के आशय से या यह जानते हुए कि वह उसकी लज्जा भंग करेगा, उस स्त्री पर हमला करेगा या अपराधिक बल का प्रयोग करेगा तो वह कम से कम एक वर्ष कारावास की सजा जो अधिकतम पाँच वर्ष के कारावास की सजा तथा अर्थदण्ड की सजा का भागीदार होगा।

3. **भा0 द0 वि0 की धारा 354 (क)** के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री के साथ शारीरिक सम्पर्क करता है तथा अवांछित लैंगिक प्रस्ताव देता है या लैंगिक सहयोग के लिए मांग या निवेदन करता है, या स्त्री के इच्छा के विरूद्ध अश्लील साहित्य दिखाता है तो वह वह यौन उत्पीड़न का दोषी होगा जो तीन वर्ष सश्रम कारावास सजा या अर्थ दण्ड या दोनों दण्डों का भागी होगा।

4. **भा0 द0 वि0 की धारा 354 (ख)** के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी स्त्री को किसी सार्वजनिक स्थल पर उसके कपड़े उतार कर या उसे नग्न होने के लिए विवश करने के आशय से हमला या

अपराधिक बल प्रयोग करेगा तो वह दोनों में से किसी भी भाँति के कारावास जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी जो सात वर्ष तक हो सकेगी, के दण्ड से दण्डित किया जायेगा और अर्थ दण्ड का भी भागी होगा ।

5. **भा0 द0 वि0 की धारा 354 (ग)** के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति छुप पर किसी स्त्री को देखता है या स्त्री का चित्र लेता है जब वह स्त्री किसी निजी कार्य में संलग्न है जहाँ पर उस स्त्री को किसी के द्वारा देखने जाने की सामान्यतः उम्मीद नहीं हो और यदि वह व्यक्ति या उसके तरफ से कोई दूसरा व्यक्ति ऐसे छुप कर लिये गये चित्र का प्रसारण करता है तो वह प्रथम दोष सिद्ध होने पर दोनों में से किसी भाँति के कारावास की सजा से, जिनकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी, परन्तु उक्त कारावास की अवधि जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी एवं अर्थदण्ड से भी वह दण्डनीय होगा दूसरी बार या उसके बाद दोष सिद्धि होने की दशा में वह व्यक्ति दोनों में से किसी भी भाँति के कारावास से कम से कम तीन वर्ष के कारावास से जो सात वर्ष तक की कारावास की सजा हो सकेगी एवं अर्थ दण्ड से भी दण्डनीय होगा।

➢ **निजी कार्य से अभिप्राय है :-** ऐसे स्थान पर छिप कर देखने का कार्य होगा जहाँ पर सामान्यतः एकान्त होने की उम्मीद की जाती है और पीड़िता के जननांग, शरीर के पीछे का भाग या वक्ष स्थल या तो नग्न हो या जो अन्तर्बस्त से आच्छादित हो या पीड़िता शौचालय का उपयोग कर रही हो या पीड़िता ऐसा लैंगिक कार्य कर रही हो जो सामान्यतः सार्वजनिक रूप से न किया जा सके। यदि महिला ऐसे किसी चित्र को लेने की सहमति देती हो परन्तु ऐसे चित्र को अन्य व्यक्तियों को वितरित करने की सहमति न देती हो और यदि

ऐसे लिए गये चित्र का उस व्यक्ति द्वारा वितरित किया जाता है तो ऐसा वितरण भी छिपकर देखने का अपराध होगा ।

6. **भा0 द0 वि0 की धारा 354 (घ) :-** के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जो किसी स्त्री का पीछा करता हो और व्यक्तिगत रूप से उससे सम्पर्क या सम्पर्क करने का प्रयास करता हो जबकि उक्त स्त्री द्वारा स्पष्ट रूप से ऐसे कार्य में अनिच्छा दिखाई जाती हो।

➢ जो किसी स्त्री पर इन्टरनेट, ई0 मेल या अन्य किसी प्रकार के इलेक्ट्रोनिक संचार से निगरानी रखता हो वह स्त्री का पीछा करने का अपराध करता है परन्तु ऐसा कार्य पीछा करने का अपराध नहीं है यदि वह व्यक्ति साबित कर देता है कि उसका उद्देश्य किसी अपराध को रोकने या पता करने के नियत से किया गया है और इस कार्य के लिए वह राज्य द्वारा प्राधिकृत है ।

➢ **स्त्री का पीछा करने के अपराध का दण्ड :-**

कोई व्यक्ति को किसी स्त्री का पीछा करने के दोषी पाये जाने पर वह व्यक्ति दोनों में से किसी भी भाँति के कारावास की सजा से जिसकी अवधि तीन वर्ष की हो सकती है और अर्थ दण्ड से दण्डित किया जा सकता है ।

7. **भा0 द0 वि0 की धारा 509 :-** के अन्तर्गत जो कोई व्यक्ति किसी भी स्त्री की लज्जा का अनादार करने के उद्देश्य के आशय से कोई शब्द कहेगा कोई ध्वनी या हाव भाव व्यक्त करेगा या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा जो उक्त स्त्री के एकान्तता का अतिक्रमण करेगा वह एक वर्ष तक के कारावास की सजा या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है ।

कहाँ शिकायत की जा सकती है :-

(1) निकटतम पुलिस स्टेशन

(2) यदि निकटतम थाना द्वारा शिकायत दर्ज नहीं की जाती है तो उस जिले के पुलिस अधीक्षक के पास लिखित शिकायत की जा सकती है।

(3) यदि पुलिस अधीक्षक के द्वारा उक्त शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो वहाँ के स्थानीय न्यायालय में शिकायत की जा सकती है।

❑❑❑

झारखण्ड पीड़ित प्रतिकर (मुआवजा) योजना 2012

- **योजना क्या है :-** इस योजना के अन्तर्गत पीड़ित या उनके आश्रित जिन्होंने अपराध के कारण क्षति या चोट सहा हो और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है उनके मुआवजा के लिए धन राशि का प्रबंध किया गया है।

- **पीड़ित कौन है :-** पीड़ित वह व्यक्ति है जो अपराध के कारण स्वयं क्षति या चोट सहा हो और जिसे पुनर्वास की आवश्यकता है। पीड़ित के अन्तर्गत उसके परिवार के सदस्य जो उस पर आश्रित है, वह भी शामिल हैं।

- **मुआवजा पाने के लिए अर्हता -**

(क) यदि अपराधी का पता न लगाया जा सके या उसकी पहचान न हो सके परन्तु पीड़ित की पहचान हो और न्यायालय में कोई विचारण न शुरू हुआ हो वैसे पीड़ित भी प्रतिकर पाने हेतु धारा 357क(4) दंड प्रकिया संहिता के तहत आवेदन दे सकते है।

(ख) पीड़ित / दावेदार अपराध की सूचना अपराध धटित होने के 48 धंटे के अन्दर उस क्षेत्र के थाना प्रभारी या किसी वरीय पुलिस पदाधिकारी या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट को दे दिया हो। मगर उचित कारण दर्शाये जाने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार संतुष्ट होने पर सूचना देने में हुए विलम्ब को शिथिल कर सकता है।

(ग) पीड़ित/दावेदार उस मुकदमें के अनुसंधान एवं विचारण में पुलिस एवं अभियोजन का सहयोग करता हो।

(घ) धारा 357(क)(4) दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत पीड़ित या उसके आश्रित के द्वारा कोई भी मुआवजा (प्रतिकर) का दावा अपराध की घटना घटने के छह माह के भीतर करना होगा। इसके पश्चात किया गया दावा मान्य नहीं होगा परन्तु उचित कारण दर्शाये जाने पर ऐसे विलम्ब को जिला विधिक सेवा प्राधिकार शिथिल कर सकता है ।

➢ प्रतिकर (मुआवजा) प्राप्त करने की प्रक्रिया -

1. प्रतिकर (मुआवजा) पाने हेतु पीड़ित जिला विधिक सेवा प्राधिकार में आवेदन दे सकते है ।

2. प्रतिकर मुआवजा हेतु न्यायालय भी सम्बंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकार को अनुशंसा कर सकता है। आवेदन देने या अनुशंसा प्राप्त होने के दो माह के अन्दर जिला विधिक सेवा प्राधिकार जाँचोपरांत इस योजना के तहत प्रतिकर (मुआवजा) का आदेश पारित करेगा ।

➢ महत्वपूर्ण तथ्य :-

1. इस योजना के अन्तर्गत प्रतिकर (मुआवजा) में दी जाने वाली राशि इस शर्त के साथ दी जायेगी कि यदि सक्षम न्यायालय बाद में अभियुक्त/अभियुक्तों को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357(3) में प्रतिकर मुआवजा देने का आदेश करता है, तो पीड़ित/दावेदार प्रतिकर के राशि के समतुल्य अथवा वह राशि जो न्यायालय द्वारा धारा 357(3) दं0 प्र0 सं0 में प्रतिकर के रूप में देने का आदेश किया है। उन दोनों में जो भी कम होगा, उसे लौटा देगा। एवं इस आशय का पीड़ित/दावेदार को मुआवजा की राशि के भुगतान के पूर्व वचन (अण्डर टंकिंग) देना होगा।

2. प्रतिकर की राशि निर्धारण का आधार है– पीड़ित को हुए क्षति, उसके चिकित्सा में हुए खर्च एवं पुनर्वास हेतु न्यूनतम आवश्यक राशि जिसमें अंतिम संस्कार का खर्च भी शामिल है, परन्तु प्रतिकर (मुआवजा) की यह राशि इस योजना के **अनुसूचि-I** में दर्शाये गये अधिकतम राशि से ज्यादा नहीं होगी ।

3. उक्त अपराध के सम्बंध में पीड़ित द्वारा राज्य सरकार से बीमा, अनुग्रह राशि (एक्स ग्रेशिया) या किसी अधिनियम या राज्य संचालित योजनान्तर्गत प्राप्त की हुई राशि को इस योजना के अन्तर्गत प्रतिकर की राशि का भाग समझा जायेगा। तथा यदि इस योजनान्तर्गत मुआवजा की तय की गई राशि पीड़िता को उपरोक्त रत्रोत से प्राप्त राशि से ज्यादा है तो शेष राशि इस योजना की निधि से दी जायेगी।

4. जिला विधिक सेवा प्राधिकार पीड़ित की पीड़ा कम करने हेतु उसे तात्कालिक रूप से प्राथमिक चिकित्सीय सहायता तथा मुक्त चिकित्सकीय लाभ या अन्य कोई भी अंतरिम सहायता जो उचित प्रतीत होता हो, को देने का आदेश पारित कर सकता है, यदि इस आशय का प्रमाण पत्र किसी पुलिस पदाधिकारी, जो थाना प्रभारी के पद के नीचे स्तर का न हो, या उक्त क्षेत्र के दंडाधिकारी द्वारा प्रदान किया गया हो।

5. **अपील :-** यदि जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा प्रतिकर का दावा खारिज किया जाता है तो असंतुष्ट पीड़ित राज्य समिति जिसके अध्यक्ष निदेशक, अभियोजन, राज्य सरकार होते है उनके समक्ष अपील दायर कर सकता है। अपील आदेश पारित होने के 90 दिनों के अंदर किया जा सकता है। परन्तु राज्य समिति संतुष्ट होने पर अपील दायर होने में हुए विलंब को शिथिल कर सकता है।

अनुसूचि-I

क्र.सं.	क्षति या चोट का विवरण	प्रतिकर मुआवजा की अधिकतम सीमा
1.	जीवन की क्षति	दो लाख रूपया
2.	शरीर के किसी अंग या भाग की क्षति जिसके वजह से 80 प्रतिशत या ज्यादा की विकलांतगता हुई हो	पचास हजार रूपया
3.	शरीर के किसी अंग या भाग की क्षति जिसके वजह से 40 प्रतिशत या अधिक परन्तु 80 प्रतिशत से कम विकलांगता हुई हो।	बीस हजार रूपया
4.	अवयस्क से बलात्कार	पचास हजार रूपया
5.	बलात्कार	बीस हजार रूपया
6.	पुनर्वास	बीस हजार रूप्या
7.	शरीर के किसी अंग या भाग की क्षति जिससे 40 प्रतिशत से कम विकलांगता हुई हो	दस हजार रूपया
8.	चोट या क्षति जिसमें मानव तस्करी से पीडित महिला या बाल पीडित को गंभीर मानसिक पीड़ा हुई हो	दस हजार रूपया
9.	पीडित बालक को साधारण चोट या क्षति	दस हजार रूपया
10	ऐसिड हमले से पीड़ित के उचित देखभाल एवं पुनर्वास हेतु	तीन लाख रुपये (एक लाख रुपये का भुगतान पीड़ित को घटना के 15 दिन के अंदर तथा शेष दो लाख रुपये का भुगतान आगामी दो माह के अंदर करना है।)

❑❑❑

नोट

UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND

State Office for Jharkhand
VISHWA Hostel Complex, Ground Floor
Near IICM Complex, Jodapul
Kanke Road, Ranchi - 834 006
Jharkhand, India

Phone No. 0651-3985100

www.unicef.in

झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
न्याय सदन
डोरण्डा, राँची
दूरभाष : 0651-2482392
ई-मेल : jhalsaranchi@gmail.com

यह पुस्तक झालसा के वेबसाइट (www.jhalsa.org) पर भी उपलब्ध है।

Year of Printing : 2015